यूनियन सृजन

वर्ष - 8, अंक -1, मुंबई, जनवरी-मार्च, 2023

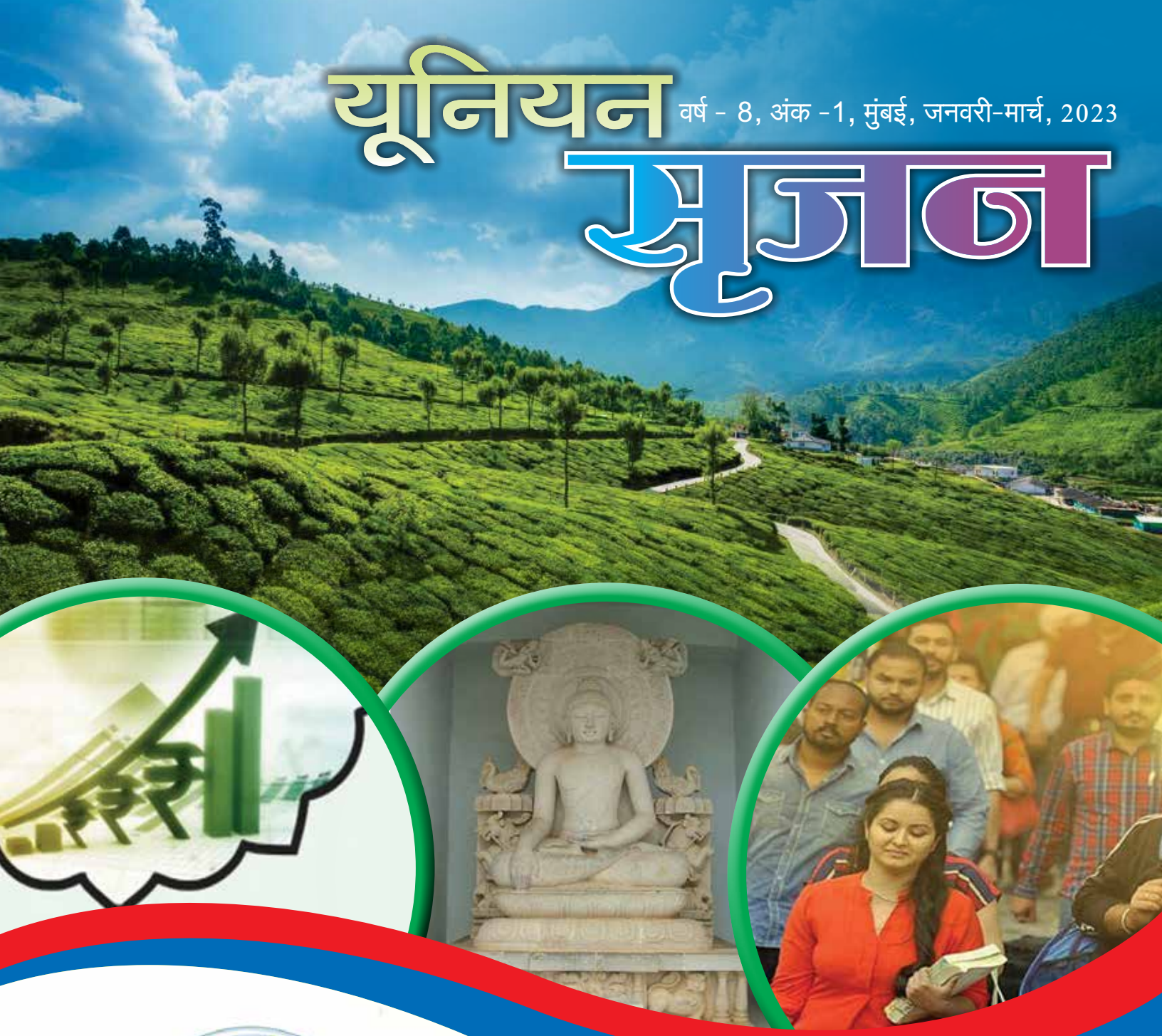

आज़ादी का अमृत महोत्सव

गृह पत्रिका

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India

A Government of India Undertaking

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 30.05.2023

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका

वर्ष - 8, अंक - 1, मुंबई, जनवरी-मार्च, 2023

संरक्षक

ए. मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रधान संपादक

लाल सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

कार्यकारी संपादक

रामजीत सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

अरुण कुमार
महाप्रबंधक

अम्बरीष कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank
union.srijan@unionbankofindia.bank
9849615496, 022-41829288

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

अनुक्रमणिका

- परिदृश्य 3
- संपादकीय 4
- भारतीय समाज के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान 5
- महिला सशक्तिकरण 6-7
- काव्य सृजन 8-9
- शांति स्तूप - धौलीगिरी 10
- श्री बैकुण्ठ शुक्ल : एक विस्मृत सपूत 11
- महिला क्रिकेट और भारत 12-13
- साहित्य सृजन : समकालीन कविता के मुखर कवि "धूमिल" 14-15
- प्रबंधन एक कला है 15-17
- यात्रा सृजन : केरल -'भगवान का अपना देश' 18-19
- डेस्क प्रशिक्षण - राजभाषा कार्यान्वयन की एक महत्वपूर्ण कड़ी 20-21
- भारतीय अर्थव्यवस्था-एक विवेचना 21-22
- नारी और नौकरी 23
- बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन 24-25
- सेंटर स्प्रेड : नैनीताल 26-27
- ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा 28-30
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022: मुख्य विशेषताएं 30-31
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 डिजिट ऑल - इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वैलिटी 32-33
- महिला विशेष कार्यशालाएँ 34-35
- पुस्तक समीक्षा : अग्निपंख : एक मनचाही किताब 36
- कहानी : एक मौन संवाद 37-38
- विशेष साक्षात्कार : श्री विश्वनाथ सचदेव 39-41
- राजभाषा पुरस्कार 42-44
- राजभाषा समाचार 45-48
- आयुष्यमान भव: 49
- आपकी नज़र में 50
- संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण 51
- बैक कवर 52

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

गृह पत्रिकाएं किसी भी संस्था में संवाद का सबसे सशक्त माध्यम होती हैं. बैंक की गृह पत्रिकाएं 'यूनियन धारा' एवं 'यूनियन सृजन' ने आज बैंकिंग जगत में अपना विशिष्ट नाम अर्जित किया है. यूनियन सृजन का यह अंक सामान्य अंक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है. इस अंक के माध्यम से आपको संबोधित करने में मुझे बेहद हर्ष हो रहा है.

31 मार्च 2023 के वित्तीय परिणाम आ चुके हैं और बैंक ने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है. बैंक ने 19 ट्रिलियन के कारोबारी लक्ष्य को प्राप्त किया है. अग्रिम, कासा, वसूली सभी क्षेत्रों में बैंक का प्रदर्शन शानदार रहा है. इस विशिष्ट उपलब्धि के कारण ही सभी यूनियनाइटस को 15 दिनों का कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है. इस उत्साहजनक स्थिति को आगे भी बनाए रखने का दायित्व हम सभी का है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस कार्यनिष्पादन को वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी बनाए रखेंगे.

आप सभी से मेरा यह आग्रह होगा कि आप सभी अपने व्यक्तित्व विकास को उचित महत्व दें. इस दिशा में बैंक ने यूनियन प्रज्ञा के अंतर्गत ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए हैं. सतत ज्ञानार्जन से आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति का पथ प्रशस्थ कर पाएंगे. संस्था की प्रगति और कर्मचारियों की निजी प्रगति आपस में जुड़ी हैं.

'यूनियन सृजन' के पिछले अंक हरियाणा विशेषांक, राजभाषा विशेषांक और वरिष्ठ नागरिक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए हैं. यह अंक किसी एक विषय पर केंद्रित न होते हुए कई विषयों का मनोरम संकलन लेकर आपके सामने प्रस्तुत है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अंक आपको पसंद आएगा.

नए वित्तीय वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

आपकी,

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

बैंक की हिंदी गृह पत्रिका "यूनियन सृजन" के इस अंक को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ. "यूनियन सृजन" का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. यह जानकार लेखकों के योगदान तथा सुधी पाठकों के स्नेह से ही संभव हो पाया है. आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ने के उत्साह के साथ "यूनियन सृजन" के संपादक के रूप में मैं पहला कदम उठा रही हूँ.

न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभज्यं न च भारकारि।
व्यय कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं ।।

बैंक ने सदैव ही विद्या और ज्ञानार्जन को महत्व दिया है. बैंक के कर्मी होने के नाते ज्ञानार्जन हमारी एक ज़रूरी प्राथमिकता और आवश्यकता भी है. हमें ज्ञानार्जन के साथ-साथ विद्या धन के व्यय से अपने साथियों को भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए. विद्या रूपी धन के व्यय हेतु गृह पत्रिका एक सशक्त माध्यम है और हमारा प्रयास है कि इसके ज़रिए हम अपने पाठकों के समक्ष बैंकिंग विषयों के साथ-साथ समसामयिक विषयों की भी जानकारी प्रस्तुत करें. गृह पत्रिका का यह अंक सामान्य अंक के रूप में कई नए विषयों की जानकारी के साथ सहेजा गया है.

गृह पत्रिका स्टाफ़ सदस्यों की सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने का भी सशक्त मंच है. अत: गृह पत्रिका के स्थायी स्तंभ और साहित्यिक लेखों के माध्यम से स्टाफ सदस्यों की इसी रचनात्मकता को उजागर किया गया है. कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना समझे कोई भी विषय पढ़ तो सकता है, लेकिन बिना समझे किसी भी विषय के बारे में लिख नहीं सकता. अत: मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि अपनी लेखनी को सृजनात्मकता के उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने दें और अपनी रचनाएं इस मंच से साझा करें.

आपके प्रोत्साहनपूर्ण वचन से हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा. साथ ही "यूनियन सृजन" के धरोहर को समृद्ध बनाने की दिशा में आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी.

आपकी,

(गायत्री रवि किरण)
संपादक

भारतीय समाज के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान

हमारे देश में जब बैंकिंग पद्धति नहीं थी उस समय भी अप्रत्यक्ष रूप से साहूकार द्वारा जरूरतमंदो को ऋण देकर उनकी मदद की जाती थी परंतु साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण का ब्याज इतना अधिक होता था कि ऋण लेने वाले शायद ही उसे चुका पाते थे एवं अंत में ऋण को चुकाने के लिए या तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या ऋण के बोझ तले दबकर आत्महत्या करनी पड़ती थी. इस पर आधारित काफी फिल्में भी हमने देखी होंगी. बैंकिंग सेवा न होने के कारण गरीब और अधिक गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर हो जाते थे. इसके कारण समाज में आर्थिक विषमता बन गयी थी.

प्राचीन भारतीय समाज में केवल ऋण लेना एवं ऋण देना ही बैंकिंग पद्धति नहीं थी. उस समय जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब लोग एक दूसरे के साथ वस्तुओं तथा अनाज का आदान- प्रदान कर लेन -देन करते थे एवं यह पद्धति एक तरह की बैंकिंग पद्धति की तरह ही थी.

भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने वित्त से संबन्धित बहुत सारी बातें अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी हैं जो वर्तमान बैंकिंग को आगे बढ़ाने में काफी मददगार सही साबित हो रही हैं.

भारत मे बैंकिंग पद्धति वैसे तो वैदिक काल से चली आ रही है. इसका छोटा-सा उदाहरण संस्कृत के एक श्लोक में मिलता है. यह श्लोक कुछ इस प्रकार है :-

उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्।
तड़ागोदरसंस्थानां परिस्त्रावा इवाम्भसाम्।।

इसका तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा उपार्जित धन के सही इस्तेमाल एवं सही व्यय करने से हमारे धन की रक्षा होती है. जैसे नदी के जल के बहते रहने से ही साफ रहता है, उसकी शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है. बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि भारत में बैंकिंग पद्धति ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 18वीं शताब्दी से चालू हुई थी. इसके बाद समय-समय पर बैंकों की स्थापना की गई परंतु भारत में बैंकिंग सेवा पूर्ण रूप से आरंभ होने के बाद भी बैंकिंग सेवा से गरीब तबके के लोग वंचित ही थे. 18वीं शताब्दी तक बैंकिंग सेवा केवल पैसे वाले लोगों एवं पूंजीपतियों के इर्द- गिर्द ही घूमती रही थी.

भारत में जरूरत मंदो तक बैंकिंग सेवा न पहुँच पाने की स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण किया. 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था फिर भी बैंकिंग सेवा जरूरतमंदो तक पहुँच नहीं पा रही थी. इस कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया.

बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारण ही आज बैंकिंग सेवा हर एक भारतीय विशेषकर मध्यम एवं गरीब वर्गों तक आसानी से पहुँच पायी है. राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का इस्तेमाल किसानों के हित के लिए, छोटे-छोटे व्यवसायियों के लिए करना आरंभ कर दिया. जब बैंक केवल निजी हाथों में था उस समय इसकी शाखाएं केवल महानगरों में या बड़े -बड़े शहरों में हुआ करती थीं. परंतु आज राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों की शाखाएँ महानगरों एवं बड़े-बड़े शहरों के अलावा ग्रामों एवं कस्बों में भी दिखती हैं.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में उन्नति हुई है. परंतु सबसे ज्यादा लाभान्वित वैसे वर्ग हुए हैं, जो बैंक के राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकिंग सेवा से वंचित थे. आज बैंकिंग सेवा गरीब लोगों, कृषकों तथा लघु उद्योगपतियों तक पहुंची हैं. बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकार द्वारा गरीब,कृषक या लघु उद्योगपतियों के लिए वित्त से संबंधित जितनी भी योजनाएँ आई उनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार सभी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का इस्तेमाल किया. आज सरकार द्वारा वित्त से संबन्धित जितनी भी योजनाएँ लायी जाती हैं इन्हें सफल बनाने में बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती हैं. 8 नवम्बर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा लागू नोटबंदी के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकार की इस नीति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इसी प्रकार प्रधान मंत्री जन धन योजना में अधिकतर खाते राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ही खोले गए, जिससे अधिकतर नागरिक लाभान्वित हुए हैं. सरकार की बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं को सफल बनाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अहम भूमिका रही है.

राष्ट्रीयकृत बैंक होने के कारण आज बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की मदद से अपनी पढ़ाई आसानी से पूरी कर पा रहे हैं. कोरोना काल में लोगों के खाते तक पैसा पहुंचाने का कार्य दक्षता से निभाया. राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों ने कोरोना में सरकार के कदम से कदम मिलाकर देश की सेवा में एवं आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.

यदि आज के वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होते तो शायद आज भी जरूरतमंद लोगों तक बैंकिंग सेवा नहीं पहुँच पाती.

अमित कुमार श्रीवास्तव
क्षे. का., दुर्गापुर

महिला सशक्तिकरण

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रफला: क्रिया:।।

अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और जहाँ स्त्रियों का सम्मान अच्छे नहीं होता है, वहाँ सब कर्म निष्फल हो जाते हैं. भारतीय संस्कृति में प्राचीन वैदिक काल से ही नारी का स्थान सम्माननीय रहा है. बहुत पुराने समय में परिवार मातृसत्तात्मक था. खेती की शुरूआत तथा एक जगह बस्ती बनाकर रहने की शुरूआत नारी ने ही की थी. इसलिए सभ्यता और संस्कृति के प्रारम्भ में नारी का प्रभाविष्णु अस्तित्व है. किन्तु कालान्तर में धीरे-धीरे सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था मातृ-सत्तात्मक से पितृसत्तात्मक होती गई और नारी समाज हाशिए पर चला गया है. आर्यों की सभ्यता और संस्कृति के प्रारम्भिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी. ऋग्वेद काल में स्त्रियां उस समय की सर्वोच्च शिक्षा अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकती थीं. ऋग्वेद में सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है जो उस समय की नारी की शास्त्र एवं कला के क्षेत्र में निपुणता का परिचायक है. अर्द्धनारीश्वर की कल्पना स्त्री और पुरूष के समान अधिकारों तथा उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है. वैदिक काल में परिवार के सभी कार्यों और भूमिकाओं में पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त थे. नारियां शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पति के साथ यज्ञ का सम्पादन भी करती थीं.

नारी को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात नारी से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है. इस सृजन की शक्ति को विकसित कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है. समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है. भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाएं श्रम में योगदान दें तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी. फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं की श्रम शक्ति तेजी से कम हुई है. एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है. उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है. निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है. ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है.

महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है. महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परम्पराओं और मान्यताओं से लोहा नहीं ले सकती. बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती. स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी." महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करती है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करती है. हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का

मौका देना चाहिए. इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है. महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं. आज की नारी जागृत और सक्रिय हो चुकी है. भारत सरकार पिछले काफ़ी वर्षों से इस दिशा में काम कर रही है और स्त्रियों के लिए बहुत सी योजनाएं लाई गई हैं, उन में से कुछ योजनाएं निम्नवत् हैं,

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना : देश की बेटियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने इस योजना को शुरू किया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है. शिक्षा के साथ - साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था. स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू की गई यह योजना एक धुंआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है. इस योजना से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी.

पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण : 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना : प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना शुरू की गई है. इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने बाद और बीमार नवजात शिशुओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में प्रसव सुनिश्चित किया जाता है. प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और प्रसव के बाद 6 महीने तक माँ और बच्चे को नि:शुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की गारंटी दी जाती है.

सुकन्या समृद्धि योजना : सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया है. वे सभी माता-पिता, जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 250 रुपए तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है. इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता-पिता को बेटी का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीय बैंक या फिर नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है. यह बैंक खाता बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता-पिता को धनराशि जमा करनी होगी. बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद इस धनराशि का 50 फीसदी निकाला जा सकता है और बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद पूरी धनराशि निकाली जा सकती है.

समर्थ योजना : केंद्र सरकार की इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन के तरीके और उससे जुड़े कार्यों के बारे में सिखाया जा रहा है, चूंकि वस्त्र क्षेत्र में काम करने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत महिलाओं पर फोकस किया गया है. इस योजना के अंतर्गत वैश्विक बाजार में वस्त्र क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी. आने वाले समय में वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी.

फ्री सिलाई मशीन योजना : इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिया जाता है. इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50000 से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी. इस योजना के ज़रिये महिलाएं फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकती हैं. इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष तक की आयु की महिलाएं ही उठा सकती हैं.

स्वयं सहायता समूह : स्वयं सहायता समूह, आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है, जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज, अवधि और अन्य शर्तों पर दिये जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं. स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्र में यह महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से सृमद्ध बनाने के लिए एक कारगार माध्यम है.

आशा रखते हैं कि आने वाले समय में सरकार के इन कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा हर नारी उठा सके और सही अर्थ में नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य सिद्ध हो.

तपन बिलखीया
क्षे. का. आनंद

हौसला

समस्या चाहे कितनी जटिल हो
मगर हल होता है
आज भले कितना कठिन हो
मगर कल होता है

डूबता नहीं यह सूरज कभी
बस समा जाता है समुद्र की गोद में
टूटता नहीं यह हौसला कभी
बस झुक जाता है अपेक्षाओं के बोझ में

है हिम्मत अगर
जो चाहे चल डगर
पहुँच जाएगा तू अपनी
महत्त्वाकांक्षाओं के नगर

कड़ी से कड़ी मुसीबत जो आ जाए
देख, न कदम तेरे डगमगाने लगें
अनहोनियों के अँधेरे जो छा जाएँ
देख, ये करम तेरे जगमगाने लगें

हार से न हारेगा तू कभी
जीत के जश्न मनाता तू चल
रास्ते रुक जाएँ, पर न रुकना तू कभी
हर कदम नयी राह बनाता तू चल

है हिम्मत अगर
भले कितना कठिन हो सफ़र
मिल जाएगी मंज़िल तुझको
सपनों सी सजेगी फिर सहर

सौमिल गहलावत
क्षे. का. कोल्हापुर

मन लगता नहीं; लगाना पड़ता है

अच्छा काम करने में,
अच्छी बातें सीखने में
बुरी आदतें छोड़ने में,
मन लगता नहीं, लगाना पड़ता हैं....

अपनों को अपनाने में,
सबको अपना बनाने में,
अच्छी चीजें पाने में,
मन लगता नहीं, लगाना पड़ता हैं....

पसीने से नहाने में,
अपनी मंजिल पाने में,
अपना सपना पूरा करने में,
मन लगता नहीं, लगाना पड़ता हैं....

चाँद सी शीतलता पाने में
सूरज सा चमकने में,
नदियों सा निरंतर बहने में,
एक सफल इंसान बनने में,
मन लगता नहीं, लगाना पड़ता हैं....

सुधाकर प्रभाकर तिवारी
परिचालन विभाग
के. का. मुंबई

जिंदगी

जिंदगी तूने जीवन से लड़ना सिखाया है,
घने साए से निकलना सिखाया है।

बिना छत के रहना सिखाया है,
छत के गिरने पर उठना सिखाया है।

पैरों पर खड़ा होना सिखाया है,
राहों पर चलना सिखाया है।

गलतियों से सीखना सिखाया है,
अच्छाइयों को चुनना सिखाया है।

कठिन डगर पर झुकना सिखाया है,
डट कर खड़े रहना सिखाया है।

खुले आकाश में उड़ना सिखाया है,
स्वच्छंद जीवन जीना सिखाया है।

जिंदगी के दौड़ में दौड़ना सिखाया है,
लोगों के संग रहना सिखाया है।

जिंदगी तूने जीवन से लड़ना सिखाया है,
घने साए से निकलना सिखाया है।

रोहित कुमार
क्षे. का. गाजीपुर

जीत की ओर

जब जीवन हो कठोर,
घना अँधेरा हो चारों ओर,
उम्मीद का दिया मन में जला के,
उठा एक कदम जीत की ओर।

उठे जब उँगलियाँ तेरी ओर,
विपदाएँ हो तेरे चारो ओर,
थामें रख विश्वास की डोर,
उठा एक कदम जीत की ओर।

समय जब न हो तेरी ओर,
तू हो जा समय की ओर,
होगी तेरे जीवन की भोर,
उठा एक कदम जीत की ओर।

अभिनव जैन
स्टा. प्र. कें., भोपाल

धूप के सफर में निकलो तो

धूप के सफर में निकलो, तो...
छाँव वालो से बनाए रखना

हादसे तोड़ देंगे कभी, तो
हौसलों से बनाए रखना

टिकना है बुलंदियों पर, तो...
ढलानों से बनाए रखना

व्यापार अक्ल का हो, तो...
सयानों से बनाए रखना

ख्वाब नजर अंदाज करे, तो...
सुकून-ए-नींद से बनाए रखना

महफ़िल में शिरकत होगी, तो..
दिवानों से बनाए रखना

बदला हुआ कोई मिले, तो...
पुरानी पहचान से बनाए रखना

अकेलेपन से न हो राब्ता, तो...
अपने आपसे बनाए रखना

स्मिता वरुड़कर
क्षे.का. नागपुर

हम जीते हैं, हम जीतेंगे

ऐ जिन्दगी तू मुझे डरा मत,
कल के बुरे सपने दिखा मत

मै डरूँगा नहीं, मै थकूँगा नहीं,
मै चलूँगा और सिर्फ चलूँगा

तुझे सवारूँगा, तुझे सजाऊँगा,
तेरा कल भी अच्छा बनाऊँगा

तू बेवजह आँखें दिखा मत,
मेरे लक्ष्य से मुझे डिगा मत

कल किसने देखा है, मैं आज में जीता हूँ,
तेरी हर जंग हर बार मैं जीता हूँ

तू कल के लिए घबरा मत,
मेरे लक्ष्य से मुझे डिगा मत

तू बस दे मेरा साथ,
थाम के चल मेरा हाथ

हम जीते हैं, हम जीतेंगे,
कल के सपनों को भी सींचेंगे

अपने सारे सपने होंगे साकार,
नहीं जाएगी मेहनत बेकार

हौसले से तू डिगा मत,
ऐ जिन्दगी तू मुझे डरा मत

मनीष कुमार
क्षे.का. अहमदनगर

शांति स्तूप - धौलीगिरी

धौलीगिरी ओडिशा में स्थित है जहां भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध शांति स्तूप विराजमान है. धौलीगिरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 08 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है. इसके आस-पास विशाल खुली जगह के साथ-साथ पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर एक बड़ी चट्टान में सम्राट अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं. धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है.

सम्राट अशोक के विश्व-प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभों में से एक यहीं पर है. इस स्तंभ में सम्राट अशोक के जीवन से जुड़े तथ्यों का वर्णन किया गया है. धौली शांति स्तूप बौद्ध धर्म में व्याप्त जीवन के संदेश को प्रवाहित करने में मददगार साबित होता है.

ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था और सम्राट अशोक को युद्ध के साथ जुड़ी भयावहता का एहसास हुआ. कुछ सालों बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया. उन्होंने वहां कई अन्य स्तूपों, और स्तंभों का भी निर्माण कराया. इस स्तूप पर भगवान बुद्ध की मूर्ति तथा उनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं. इस स्तूप से दया नदी का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है.

ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया था. यह भी माना जाता है कि कलिंग के इस विध्वंसक युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग कर धर्म को अपनाया था तथा अपने आपको भगवान बुद्ध की शरण में अर्पित कर दिया था.

आस-पास के क्षेत्र में भी संभवत: अशोक के कई शिलालेख हैं और विद्वानों के तर्क की पुष्टि में टंकपाणी सड़क पर, भास्करेश्वर मंदिर में एक स्तूप पाया गया है. धौलीगिरि पहाड़ियों में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जहां शिवरात्रि समारोह के दौरान जनसभा का आयोजन होता है.

कलिंग युद्ध के विध्वंसक परिणाम के कारण ही धौली पर्वत पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर पूरी दुनिया को शांति की सीख देने हेतु अभियान चलाया गया. धौली पर्वत आज भी शांति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.

इस पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकदार सफेद शांति शिवालय 1970 के दशक में जापान बौद्ध संघ और कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया है.

ओडिशी संस्कृति को बनाए रखने तथा आम नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता एवं ज्ञान बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में कलिंग उत्सव का आयोजन किया जाता है. इस दौरान ओडिशा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कला, संस्कृति एवं सामग्रियों का प्रदर्शन शांति स्तूप के पास किया जाता है. इस स्तूप का विशेष महत्व इसलिए है कि कलिंग युद्ध के पश्चात पश्चाताप करते हुए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर विश्व में शांति का संदेश प्रचलित किया था. उसी की याद में अब कलिंग उत्सव का आयोजन कर शांति एवं अहिंसा के महत्व को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है.

वर्तमान समय में, यह स्थान एक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो चुका है. वर्ष भर लाखों पर्यटक यहां आते हैं तथा कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक एवं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं.

दिलीप कुमार पाती
क्षे.म.प्र.का., भुवनेश्वर

श्री बैकुण्ठ शुक्ल : एक विस्मृत सपूत

जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी
जो चढ़ गए पुण्य वेदों पर, बिना गर्दन का मोल,
कलम आज उनकी जय बोल ..

- रामधारी सिंह दिनकर

कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. 1947 में स्वतंत्र होकर हमारा राष्ट्र इतिहास से सीख लेता हुआ, विज्ञान की पगडंडियों पर लड़खड़ाते हुए कदमों से विकास की और अग्रसर हुआ. इस अवधि में इस देश ने सबसे बड़े लोकतंत्र, प्रशंसनीय अन्तरिक्ष विज्ञान तथा उत्कृष्ट सूचना तकनीकी आदि की उपलब्धियों के गगनचुंबी भवन तैयार किए. इस कालखंड में एक महत्वपूर्ण कार्य छूट गया, इस भवन की नींव की ईंट की गरिमामई स्मृतियों को सहेजने का. परंतु अब इस अधूरेपन को भरने का पावनवर्ष आ गया है. वर्ष 2022 में इस गौरवशाली राष्ट्र ने स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई. राष्ट्र ने इस रोमांचक वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया.

उन्नत भारत की एक गौरवशाली नींव की ईंट का नाम श्री बैकुण्ठ शुक्ल है, जिसे मैं आपके समक्ष लाकर राष्ट्र के प्रति अपना कुछ ऋण कम करने का प्रयास कर रहा हूँ. आप इसे पढ़ कर अपने हिस्से का ऋण उतारने का पुण्य प्रयास करें. बलिदानी बैकुण्ठ शुक्ल एक क्रांतिकारी वृक्ष-रूपी परिवार के अमरपुष्प हैं. श्री योगेंद्र शुक्ल, जो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संगठन (HSRA) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, श्री बैकुण्ठ शुक्ल के चाचा थे. श्री शुक्ल का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद के पावन 'जलालपुर' गाँव (संप्रति वैशाली जनपद में स्थित) में 15 मई 1907 को हुआ था. प्रारम्भिक शिक्षा- दीक्षा जलालपुर में हुई और बाद में वे मथुरापुर गाँव स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करने लगे. बाल्यकाल से ही स्वभाव में क्रांतिकारी चमक से ओत-प्रोत श्री शुक्ल को अपना मार्गदर्शक श्री किशोरी प्रसन्न सिंह के रूप में मिला, जिन्होनें श्री शुक्ल के व्यक्तित्व को एक नया आयाम देकर उन्हें परिपक्व और दृढप्रतिज्ञ बनाया.

श्री बैकुण्ठ शुक्ल राष्ट्र की स्वतन्त्रता हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहते थे. इसी क्रम में वे हिंदुस्तान सेवा दल से जुड़े तथा नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया. सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण पटना कारागार में बंदी भी रहे. गांधी - इरविन समझौते के फलस्वरूप उन्हें कारागार से मुक्त किया गया.

शनै: शनै: उनका झुकाव हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संगठन की तरफ बढ़ा जो चन्द्रशेखर आजाद व सरदार भगत सिंह जैसे अमर क्रांतिकारियों से सजा हुआ था. सभी जानते हैं कि वर्ष 1931 में महान त्रिमूर्ति (सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु) की फांसी होने के कारण जन-जन में आक्रोश था. ऐसे में श्री शुक्ल अछूते कैसे रहते? प्रतिशोध के भाव से उनका तन-मन कंपायमान हो रहा था. एचएसआरए के एक सक्रिय सदस्य फनींद्रनाथ घोष ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया था तथा सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया. इस धोखे के कारण ब्रिटिश शासन ने एचएसआरए के शस्त्र निर्माण केन्द्रों और आयुध भंडारों को नष्ट कर दिया. तत्कालीन शासन ने फणींद्रनाथ घोष के बयान के आधार पर बलिदानी सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव तथा श्री राजगुरु को फांसी पर लटकाया तथा अन्य क्रांतिकरियों को भी प्रताड़ित किया. ब्रिटिश सरकार ने फणींद्रनाथ घोष को मुक्त कर दिया तथा घर पर ही सुरक्षा सुनिश्चित कर दी.

क्रांतिकारियों के लिए फणींद्रनाथ घोष का कृत्य अत्यंत घृणित, हतोत्साही एवं दंडनीय था. एचएसआरए ने यह आवश्यक समझा कि देशद्रोही को उचित दंड दिया जाना चाहिए. इस कार्य के लिए दो क्रांतिकारियों, श्री सदाशिवराज मालपुरकर तथा श्री भगवनदास को नियुक्त किया गया. दुर्भाग्य से उपरोक्त दोनों क्रांतिकारी अपने लक्ष्य में असफल रहे. श्री शुक्ल ने स्वेच्छा से संगठन से अनुरोध किया कि यह कार्य उन्हें दिया जाए. संगठन ने सहर्ष उन्हें यह दायित्व सौंप दिया.

1 नवंबर 1932 को जब फणींद्रनाथ घोष अपने भंडार में कार्य कर रहे थे, तभी श्री शुक्ल तथा श्री चंद्रमा घोष ने देशद्रोही को मृत्युदंड दे दिया. दोनों क्रांतिकारी वहाँ से निकलकर कुछ समय क्रांतिकारी श्री रामविनोद के घर पर रहे. कहते हैं कि सूर्य का ताप और वीर का शौर्य छिपता नहीं है. अंतत: ब्रिटिश पुलिस ने माँ भारती के इस लाडले को 6 जुलाई 1933 को मोकामा स्टेशन के समीप बंदी बना लिया. श्री शुक्ल के विरुद्ध अभियोग चलाकर उन्हें दोषी ठहराया गया. अंतत: उस दुर्भाग्यशाली दिवस का आगमन हुआ जब भारत के इस देदीप्यमान नक्षत्र को इस धरा से उन्मुक्त होकर असीमित गगन में दीप्तिमान होना था. फांसी की पूर्व रात्री शुक्ल जी ने टूटी फूटी बांग्ला में विभूति बाबू से अनुरोध किया कि एक बार खुदीराम बोस का फांसी वाला गीत गाइए न दादा. 'हासि- हासि परब फांसी' विभूति दा आत्म विभोर होकर गाने लगे. यह तिथि थी 14 जुलाई 1934 की, ठीक इसी दिन इनकी आयु के 27 सार्थक वर्ष पूर्ण हो रहे थे. कहते हैं जब इनके गले में फांसी का फंदा डाला जाना था, गया के केन्द्रीय कारागार का जल्लाद इन्हें देखकर भावुक हो गया था. तभी श्री शुक्ल जो माँ भारती के लिए बलिदान होने की उत्सुकता से भरे थे, चिल्लाए ''फंदा डालो, विलंब क्यों करते हो?'' भारत माँ निशब्द सिसक उठी, देश चीत्कार उठा, त्याग का नया मानक गढ़ा गया. क्रांति की लहर ऐसी दौड़ी एवं ऐसा वातावरण बना कि विश्व की प्रबलतम शक्ति ब्रिटिश, जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, श्री शुक्ल के बलिदान के बाद मात्र 13 वर्ष ही यहाँ टिक सकी.

अत्यंत दुखद है कि हिमालय से ऊंचे, सूर्य से दीप्तिमान सर्वोच्च बलिदानियों की परम ज्ञानी इतिहासकारों के दिव्य नेत्र नहीं देख सके. आभार है कि आजादी के अमृत महोत्सव का जिसने अवसर दिया कि जाने अनजाने में हुई इतिहास की इस भूल को सुधारा जाए. गौरवशाली अतीत की नींव पर भविष्य का दिशा निर्देशन किया जा सके.

जब भी कहेगी दुनिया शहीदों का फसाना
बैकुण्ठ तुम्हें भूल न पाएगा ये जमाना!

एन वी अनिल कुमार
सनतनगर शाखा
क्षे. का. पंजागुट्टा हैदराबाद

महिला क्रिकेट और भारत

आज चर्चा का विषय है - महिला क्रिकेट. आज लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है, बात करूँ हाल ही के दिनों की तो चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया या न्यूज चैनल हर जगह क्रिकेट को लेकर महिलाएँ सुर्खियों में रही. क्रिकेट जो कि शुरूआत से पुरुषों का खेल माना गया, वहाँ अब महिलाओं को बराबर की लोकप्रियता मिल रही है. न्यूज पेपर के मुख्य पृष्ठ से लेकर न्यूज चैनल में छाया रहा महिला क्रिकेट. पुरुष क्रिकेट के साथ-साथ भारत सहित दुनिया में महिला क्रिकेट को भी तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है. हाल के वर्षों में इस खेल की मीडिया कवरेज सहित लोकप्रियता में इजाफा हुआ है.

महिला क्रिकेट दुनियाभर में लोकप्रिय हो गया है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और श्रीलंका सहित कई देशों द्वारा क्रिकेट के इस फॉर्मेट को खेला जाता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ही महिला टीमों के लिए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करवाता है, जिसमें महिला क्रिकेट विश्वकप और महिला टी-20 विश्वकप शामिल है. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अलावा महिला क्रिकेट, क्लब और घरेलू स्तर पर भी खेला जाता है. हर चार साल में खेला जाने वाला खेलों का महाकुंभ ओलम्पिक में भी महिला क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है. कॉमनवेल्थ गेम में साल 2022 में महिला क्रिकेट पहले ही अपनी सफल उपस्थिति दर्ज करवा चुका है.

पुरूष क्रिकेट 16वीं शताब्दी से और महिलाओं द्वारा क्रिकेट 18वीं शताब्दी से खेला जा रहा है. महिला क्रिकेट का पहला रिकॉर्डेड मैच 1745 में इंग्लैंड के ससेक्स में खेला गया था. 20वीं शताब्दी में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जाना शुरू हुआ था, जो कि एक टेस्ट मैच था. यद्यपि 1926 में महिला क्रिकेट संघ की स्थापना हो गई थी, तथापि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था. 1993 में जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का गठन हुआ तो महिला क्रिकेट को अधिकारिक रूप से मान्यता दी गई.

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. भारत 1978 के विश्वकप की मेजबानी कर चुका है, जहाँ भारतीय महिला टीम ने अपना वनडे डेब्यू भी किया. भारतीय महिला टीम का पहला टी-20 मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2005 व 2017 दो मौकों में महिला क्रिकेट विश्वकप के फाइनल में जगह बनाई है और रिकॉर्ड 7 बार महिला एशिया कप जीता है. आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग के अनुसार फिलहाल दुनिया की 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में दो भारतीय हैं. रैंकिंग के अनुसार 6ठे नंबर पर हरमनप्रीत कौर और 7वें नंबर पर स्मृति मंधाना है. भारतीय महिला क्रिकेट ने तो हाल ही में संपन्न हर क्रिकेट आयोजन में अपना परचम लहराया है.

महिला तथा पुरूष क्रिकेट फॉर्मेट में अंतर-

गेंद का वजन - महिला और पुरूष क्रिकेट दोनों फॉर्मेट में जिन गेंदों का प्रयोग किया जाता है, उनका वजन अलग-अलग होता है. महिला क्रिकेट में गेंद का वजन कम होता है, जबकि पुरूष क्रिकेट की गेंद का वजन महिला क्रिकेट की गेंद के वजन से तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है. महिला क्रिकेट में गेंद का भार 140-151 ग्राम के बीच होता है, जबकि पुरूष क्रिकेट में गेंद का वजन 155.9-163 ग्राम के बीच होता है.

बाउंड्री तथा इनर सर्कल की दूरी - महिला और पुरूष क्रिकेट में बाउंड्री साइज में फर्क होता है. महिला क्रिकेट में यह लगभग 54-70 गज तक होती है, जबकि पुरूषों के लिए यह 65 से 90 गज तक होती है. महिला क्रिकेट में ग्राउंड का इनर सर्कल पिच से लगभग 25 गज की दूरी पर होता है, वहीं पुरूष क्रिकेट में लगभग 30 गज की दूरी होती है.

डीआरएस - डीआरएस (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) को पहले महिला क्रिकेट में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी. मार्च, 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् ने डीआरएस की अनुमति दे दी है.

वेतन - पुरूषों के फॉर्मेट में क्रिकेटर अधिक पैसा कमाते हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में घोषणा कर बताया कि दोनों फॉर्मेट में सैलरी बराबर दी जाएंगी. फिलहाल टेस्ट मैच में 15 लाख रूपये प्रति टेस्ट मैच, वनडे मैच में 6 लाख रूपये प्रति मैच वेतन दिया जाता है. भारत से पहले न्यूजीलैण्ड में भी महिला क्रिकेटर्स को पुरूष खिलाडियों के समान वेतन देने की घोषणा हो चुकी है, मगर आईसीसी के अधीन आने वाले अन्य देशों की क्रिकेट संस्थाओं में ऐसा प्रावधान अभी नहीं किया गया है.

टेस्ट मैच - महिला और पुरूष क्रिकेटरों के टेस्ट मैच में भी अंतर

होता है. महिलाओं का टेस्ट मैच पाँच की बजाय चार दिन का होता है और हर दिन 90 की जगह 100 ओवर किये जाते हैं. इस तरह से पूरा मैच अधिकतम 450 ओवर की जगह 400 ओवर का होता है.

फील्ड एस्सेंट - यदि किसी फील्डर को चोट या अन्य परिस्थितियों के कारण मैदान छोडना पड़ता है तो इसे फील्ड एस्सेंट कहा जाता है. महिला टेस्ट क्रिकेट में इस स्थिति में एक खिलाड़ी के लिए मैदान पर लौटने के लिए अधिकतम समय सीमा 110 मिनट है, जबकि पुरूषों के टेस्ट क्रिकेट मे समय सीमा 120 मिनट है.

भारत और महिला क्रिकेट - भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कई ऐसी नामी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. आज की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भारत का भविष्य इस क्षेत्र में उज्ज्वल है. पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक क्रिकेट खेला, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज रहीं और वर्तमान समय में कुशल तरीके से क्रिकेट कमेंट्री करते देखी जा सकती हैं. इन्ही की समकक्ष झूलन गोस्वामी भी सफल पूर्व-महिला गेंदबाज रही.

मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट को भारत में नये आयाम तक ले गईं. ये दोनों महिला खिलाडी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्त्रोत रही हैं. शांता रंगास्वामी 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट की पहली कप्तान थीं, उन्होंने 1976 से 1991 के बीच 616 मैच खेलें. बात करूँ मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी की तो यह दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर एवं सनत जयसूर्या जितने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर वाले खिलाड़ियों को बराबरी से टक्कर दी एवं इसे बखूबी निभाया.

यूँ तो भारत ने पहला क्रिकेट मैच 1976 में ही खेल लिया था, लेकिन सही मायनों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहचान विगत 10-15 वर्षों में ही मिली है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार अच्छे प्रदर्शन से क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किए जा रही है. इंग्लैंड में हुए 2017 आईसीसी महिला विश्वकप फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया था तथा कुछ समय पहले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम कर देश को गौरवान्वित किया था.

हाल ही में खेले गए कॉमनवेल्थ खेल 2022 में पहली बार क्रिकेट को भी स्थान मिला और यहाँ पर भी भारतीय महिला टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और फाइनल में सिल्वर मैडल अपने नाम किया. इसके बाद महिला एशिया कप में तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जबरदस्त दबदबा रहा और भारतीय महिला टीम ने एशिया कप जीतकर देश का नाम रोशन किया. आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाडियों की धूम हर जगह है, फिर चाहे वह इंग्लैंड में होने वाली 100 बॉल क्रिकेट लीग हो या ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग. हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा महिला आईपीएल की भी शुरूआत की है.

बीते जनवरी माह में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 महिला टी-20 विश्वकप पर कब्जा जमाया, साथ ही भारत को शैफाली वर्मा के रूप में एक और सफलतम महिला खिलाड़ी मिली शैफाली वर्मा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सितारा है. विगत वर्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा पुरूष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर वेतन देने की घोषणा भारत में महिला क्रिकेट को और बढावा देगी. हर आयोजन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हमारे देश का नाम रोशन किया है. समय-समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा महिला खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि और उनकी हौसला-अफजाई अन्य युवा खिलाड़ियों को भारतीय महिला क्रिकेट में अपना योगदान देने के लिए आकर्षित कर रही है.

मिताली राज पर केन्द्रित फिल्म शाबाश मिट्ठू ने महिला क्रिकेट के अंदर की कहानी भी कही और साथ ही यह संदेश भी दिया कि भारत में महिला क्रिकेट को लेकर बहुत गुंजाइश है. सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया भी महिला क्रिकेट को लगातार बढ़ावा दे रहा है. महिला विश्वकप अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप, कॉमनवेल्थ खेल और एशिया कप जैसी सारी क्रिकेट स्पर्धाओं में महिलाओं ने भारत का नाम ऊँचा किया है. हाल ही के दिनों में चल रही महिला इंडियन प्रीमियर लीग इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी देगा. स्मृति मंधाना महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में क्रिकेट खेलने के लिए बिकने वाली पहली खिलाड़ी बनी और उनका नाम भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हुआ. उम्मीद है कि हम युवा पीढ़ी को और बच्चों को महिला क्रिकेट के लिए और प्रोत्साहित करें और उन्हें इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें. मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट को जिस ऊँचाई तक पहुँचाया है, उसे कायम रखना है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को और प्रसिद्ध बनाने के प्रयास करने चाहिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय इस दिशा में सराहनीय है. विगत 10-15 वर्षों में मिली लोकप्रियता को और बढाना होगा क्योंकि अभी भी भारतीय जनता और विदेशी जनता महिला क्रिकेट में पुरूष क्रिकेट की तुलना में ज्यादा रुचि नहीं दिखाती, इसे रुचिकर बनाने के लिए प्रचार-प्रसार की जरूरत है. जब महिला क्रिकेट का प्रचार-प्रसार पुरूष क्रिकेट की भाँति होगा तो दर्शकों में जागरूकता आएगी और साथ ही उनकी रुचि भी बढेगी. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि महिला क्रिकेट को पहचान तो मिल गई, बस अब जरूरत है इसे और लोकप्रिय बनाने की. महिला क्रिकेट का भविष्य भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में उज्ज्वल है.

कोमल मखीजा
कोटा मुख्य शाखा, क्षे. का. उदयपुर

समकालीन कविता के मुखर कवि "धूमिल"

हिंदी कविता जगत के इतिहास में सुदामा पाण्डेय "धूमिल" एक ऐसा ध्रुवतारा है जो सदैव हिंदी साहित्य जगत पर अटल रूप में प्रकाशित होता रहेगा तथा भविष्य के लेखकों एवं कवियों के लिए आदर्श बना रहेगा. सुदामा पाण्डेय धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं. उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है. व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आइना दिखाना मानों धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है.

"धूमिल" का जन्म उत्तरप्रदेश के वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर 1936 को हुआ था. उनका मूल नाम सुदामा पांडेय था. परिवार का जीविकोपार्जन किसानी और दुकानी पर निर्भर था. उनकी आरंभिक शिक्षा-दीक्षा गाँव में ही हुई. तेरह वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह भी संपन्न हो गया. वह उच्च शिक्षा का कुछ सोचते, तभी पिता की मृत्यु से परिवार का उत्तरदायित्व उनके कँधे पर आ गया. उन्होंने कलकत्ता के एक लोहे के कारख़ाने में मज़दूरी की, फिर कुछ समय बाद एक ट्रेड कंपनी की नौकरी करने लगे. बाद में उन्होंने आईटीआई से इलेक्ट्रिक डिप्लोमा किया और अनुदेशक की नौकरी करने लगे. इन कुछ रोज़गार अवसरों से गुज़रते व्यवस्था और पूँजीवादी संरचना के प्रति उनका आक्रोश गहरा ही होता गया. व्यवस्था-विरोध उनके स्वभाव और उनकी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति ही रही. उनकी कविताओं में यहाँ-वहाँ नज़र आती 'अराजकता' युगीन प्रभाव की देन भी है. नक्सलवादी स्वच्छंदता का प्रभाव उस दौर के कई निम्न-मध्यमवर्गीय कवियों में प्रकट हुआ है.

सन 1960 के बाद की हिंदी कविता में जिस मोहभंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अंत्यत प्रभावशाली कवि हैं. उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध है, क्योंकि इन सबकी आड़ में जो हृदय पलता है, उसे धूमिल पहचानते हैं. कवि धूमिल यह भी जानते हैं कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सबका उपयोग करती है, इसलिए वे इन सबका विरोध करते हैं. इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता मिलती है. किंतु उससे उनकी कविता की प्रभावशीलता बढती है. धूमिल अकविता आन्दोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं. धूमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विकसित करते हैं जो नई कविता के दौर की काव्य- भाषा की रुमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबों से मुक्त है. उनकी भाषा काव्य-सत्य को जीवन सत्य के अधिकाधिक निकट तक प्रदर्शित करने में सफल होती है. साठोत्तरी कविता में 'धूमिल' का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना की तरह हुआ. धूमिल के रूप में नई कविता और अकविता के किसी संक्रमण सुरंग से हाथ में औज़ार लिए हिंदी कविता का एक वास्तविक मज़दूर -किसान सामने आया था जिसने अपने औज़ार हथियार की तरह समकालीन कविता-विमर्श पर तान दिए कि ''शब्द और शस्त्र के व्यवहार का व्याकरण अलग-अलग है. शब्द अपने वर्ग-मित्रों में कारगर होते हैं और शस्त्र अपने वर्ग-शत्रु पर.'' उनका आक्रोश अकविता, क्रुद्ध युवा पीढ़ी, श्मशानी या भूखी पीढ़ी के आक्रोश से इस मायने में भिन्न था कि इसके मूल में शोषण से मुक्ति की प्रबल आकांक्षा मौजूद थी. उनका आक्रोश एक पूरी पीढ़ी, वर्ग और युग का आक्रोश भी था जो कविता, विमर्श, राजनीति में मुखर हो रहा था. 'धूमिल' उपनाम उन्होंने ख़ुद चुना था.

धूमिल की भाषा का संबोधनात्मक प्रयोग भी उन्हें तमाम समकालीन मुलम्मेदार व पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रिय कवियों से अलग व एक विशिष्ट पहचान देता है. उनकी कविता नए बिम्ब विधान व नए संदर्भो में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है. इस दृष्टि से उनकी काव्यभाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है.

आम आदमी का आक्रोश कवि की वाणी में घुलता है और शब्द रूप धारण कर कविताओं के माध्यम से कागजों पर उतरता है. बिना किसी अलंकार, साज-सज्जा के सीधी, सरल और सपाट बयानी आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्त करती है. संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखी धूमिल की कविताओं का केंद्र आदमी रहा है.

उनके जीवनकाल में उनका एक ही काव्य-संग्रह 'संसद से सड़क तक' (1972) प्रकाशित हो सका था. मरणोपरांत उनके दो अन्य संग्रह 'कल सुनना मुझे' (1977) और 'सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र' (1984) संकलित हुए. गद्य विधा में उनकी सात कहानियाँ और कई निबंध विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं. उनकी डायरी, पत्रों और उन पर लिखे गए संस्मरणों से उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है. इसके साथ ही ये उनकी कविताओं तक पहुँच के 'टूल्स' के रूप में भी काम आते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अनुवाद और नाट्यलेखन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई.

उन्हें हिंदी कविता का 'यंग एंग्री मैन' कह सकते हैं -

उनकी कविताओं में आत्मबोध, देश की समस्याओं के प्रति आग्रह तथा आमजनों की पीड़ा स्पष्ट रुप छलकती प्रतीत होती है. उन्होंने शब्दों को इस तरह से पिरोया कि शब्द आइना बन गए. क्रांतिक्रारी विचारों एवं स्पष्टवादिता के कारण उन्होंने यथार्थ को निर्भयता से अपनी कविताओं में स्थान दिया हम इन पंक्तियों में उस बोध को महसूस कर सकते है:-

एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ-
'यह तीसरा आदमी कौन है ?'
मेरे देश की संसद मौन है.

उन्हें मरणोपरांत 1971 में 'कल सुनना मुझे' काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 'संसद से सड़क तक (1972)' के लिए 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित, 'कल सुनना मुझे' के लिए 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से विभूषित किया गया.

10 फरवरी 1975 को हिंदी के इस क्रांतिकारी कवि की ब्रेन ट्यूमर से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया परंतु उन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य किया. उन्होंने सामान्य एवं निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार की समस्याओं को अपनी कविता में समाहित किया तथा उसके भाव एवं दर्शन को परिलक्षित किया. आज भी धूमिल की कविता जीवंतप्राय है. इन कविताओं का अर्थ तथा बोध आज भी व्यापक है तथा आमजनों के हृदय तक पहुंचने में सफल प्रतीत होता है.

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
क्षे.का., पटना

प्रबंधन एक कला है

जब से सृष्टि की रचना हुई है और मानव अस्तित्व में आया है तभी से प्रबंधन की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है. अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक निपटाने के लिए मानव ने प्रबंधन के अनेक गुर सीख लिए और कार्यों को सुगम बनाने के लिए इन्हें अपनाया जाने लगा. तथापि आदिकालीन मानव के ये प्रबंधन सिद्धांत स्थाई नहीं थे और आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता था. प्रबंधन के सिद्धांत इसलिए अस्तित्व में आए ताकि वे सभी को समान रूप से स्वीकार्य हों तथा संसाधनों और सेवाओं का उत्पादन और वितरण सुचारू रूप से हो सके.

सिंधु घाटी की सभ्यता के उपलब्ध साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि उस समय के समाज में प्रबंधन की कला बहुत उन्नत स्तर पर थी. हड़प्पा, मोहनजोदड़ों, राखीगढ़ी के प्राचीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय नगर नियोजन इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही उन्नत रूप में थी. इसी प्रकार बेबीलोनिया, मिस्र, ग्रीस, रोमन, एथेंस इत्यादि सभ्यताओं से मिले प्राचीन अवशेषों और प्राचीन इमारतों, शिलालेखों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही उन्नत रूप में विद्यमान थी.

भारतवर्ष की बात करें तो प्रबंधन सिद्धांत का विस्तृत लिखित अभिलेख मनुस्मृति है जिसके माध्यम से सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रावधान किया गया तथापि वर्तमान में यह वर्ण व्यवस्था विवेचना और आलोचना दोनों का विषय है क्योंकि जो व्यवस्थाएं मनुस्मृति में की गई हैं, वे अत्यंत जटिल और कठोर है. समय के साथ इन व्यवस्थाओं में सामयिक परिवर्तन होना चाहिए था जो कि समय के साथ-साथ हुआ भी.

राज्य प्रबंधन का स्पष्ट रूप मौर्य साम्राज्य काल में नज़र आता है जहां राज-काज के विभिन्न कार्यों का संचालन करने के लिए विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे. साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था उसकी सहायता के लिए महा आमात्य, आमात्य, सेनापति, अध्यक्ष, रज्जुक, ग्रामिक इत्यादि नियुक्त होते थे और एक सुदृढ़ गुप्तचर तंत्र भी होता था. यहाँ अंतिम प्रभुसत्ता का स्रोत सम्राट ही होता था. चाणक्य, जिनके दूसरे नाम कौटिल्य और विष्णु गुप्त भी थे, के ग्रंथ 'चाणक्य नीति' अथवा 'अर्थशास्त्र' के अध्ययन से हमें मौर्य कालीन समाज और शासन प्रबंधन नीति का पता चलता है.

इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का आरंभ हुआ. गुप्त शासन प्रणाली सामंतीय थी. राजा को रक्षाकर्ता तथा पालनकर्ता के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया जाता था. राजा की सहायता के लिए अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती थी जिसमें कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी थे. इसके अलावा, संधिविग्रह, दंडपाशिक तथा ध्रुवाधिकरण जैसे अधिकारियों का प्रमुख स्थान था. ये क्रमशः युद्ध एवं शांति के मंत्री, पुलिस अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी की भूमिका का निर्वाह करते थे. प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को भुक्तियों में, भुक्तियों को विषयों में, विषयों को वीथियों में तथा वीथियों को ग्रामों में बाँटा गया था. गुप्त राजाओं ने प्रांतीय तथा स्थानीय शासन की पद्धति चलाई. ग्राम में मुखिया का पद महत्वपूर्ण था जो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गाँव का कामकाज देखता था. स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना ज़मीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती थी. वहीं नगर के प्रशासन में स्थानीय व्यावसायिकों के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी. नगरों के प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक, मुख्य शिल्पी, मुख्य व्यापारी जैसे कई व्यक्ति शामिल थे. भूमि अनुदान के द्वारा पुरोहित वर्ग के लोगों को भी प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए थे. इसके अलावा गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सामंतों का प्रभाव भी अधिक था. राजाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन-पत्र प्रदान किया जाता था. गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय पद्धति अत्यंत विकसित थी. इसी काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को भली-भाँति परिभाषित किया गया था. इस प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम यह निकला की गुप्त साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैल गया. गुप्तकालीन शासक सेनापति भी थे और साथ ही वे सभी प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्यों का निरीक्षण करते थे. उन्हें महाराजाधिराज और परमभट्टारक की उपाधि से विभूषित किया जाता था. उनकी सहायतार्थ एक मंत्रिस्तरीय परिषद थी. आंतरिक और बाहरी प्रशासन पर सम्राट की सलाह ली जाती थी.

गुप्त काल में अनेकानेक विद्वान, कवि, गणितज्ञ, दार्शनिक हुए जिन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएँ रचीं. चीनी यात्री फाह्यान के यात्रा संस्मरणों से इस काल की समृद्ध शासन व्यवस्था और संस्कृति का ज्ञात होता है.

गुप्त काल में शासकों ने शासन चलाने और प्रबंधन करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया. उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया. प्रजा के बीच अपनी अच्छी छवि बनाई. यही कारण था कि लगभग दो सौ पचास वर्षों तक गुप्त साम्राज्य पनपता रहा जब तक की हूण आक्रमणकारी भारत में न आ गए. ह्वेनसांग ने अपने भारत यात्रा वृतांत में इस व्यवस्था का सुंदर वर्णन किया है. गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई शताब्दियों तक भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया और इस काल के राजाओं ने अपने-अपने तरीके से शासन किया. इससे गुप्त काल में राज्य प्रबंधन के जो अच्छे सिद्धांत अस्तित्व में आए थे वे समाप्त हो गए.

गुप्तकाल के पश्चात भारतवर्ष छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया. इस काल में कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन ने एक बार पुनः विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की. इस काल में साम्राज्य के बड़े भौगोलिक विभाजन सम्राट द्वारा शासित थे. तथापि विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण ने कई प्रभागों के बेहतर प्रशासन में भी मदद की. सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रांतीय व्यवस्था का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता था. जिससे क्षेत्रीय इकाइयों को काबू में रखा. केंद्र और प्रांतीय राजाओं के बीच समन्वय था. चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांतो से इस समय की राज्य प्रबंधन व्यवस्था का पता चलता है. बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक ग्रंथ इस संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तक है.

विदेशी आक्रमणकारियों ने फिर से भारत पर कूच करना प्रारंभ कर दिया. फलस्वरूप दसवीं सदी के अंत से लेकर अठारहवीं सदी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा. अरबी विद्वान अल्बेरूनी की रचना किताब-उल-हिंद से उस समय की शासन प्रबंधन नीति का ज्ञान होता है. अल्लाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर के शासन काल में कर व्यवस्था और भूमि व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छे सिद्धांत अपनाए गए. इनमें से कुछ सिद्धांत तो आज भी चल रहे हैं. कुछ प्रशासनिक शब्द जैसे बीघा, एकड़, पटवारी, कानूनगो, चौधरी, लंबरदार आदि आज भी प्रचलन में है.

मोरक्को के यात्री इब्नबतूता की रचना 'रेहला' से हमें मध्यकालीन शासन प्रबंधन व्यवस्था का पता चलता है. इस पुस्तक को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते है कि किस प्रकार शासन प्रबंधन नीति तलवार की लेखनी और रक्त की स्याही से लिखी जाती थी. हुमायूँनामा, अकबरनामा अन्य रचनाएँ है जो उस काल के बारे में बताती हैं.

अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कई परिवर्तन हुए जैसे : राज-काज, कर व्यवस्था, भूमि प्रबंधन आदि, अंग्रेजों द्वारा यूरोपियन और मुगलकालीन प्रबंधन का एक मिश्रित रूप बना कर लागू किया गया.

इस दौरान शिक्षा आदि के क्षेत्र में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई. जिससे लोगों में जागृति आयी.

आज़ादी के बाद भी अभी तक अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्था की लीक पर ही शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन चल रहा है. तथापि देश काल और समय की मांग के अनुसार सामयिक परिवर्तन इसमें होते रहते हैं.

प्रबंधन शब्द सुन कर हमें लगता है कि यह किसी वित्तीय संस्थान या फैक्ट्री से संबंधित है. पर ऐसा नहीं है, प्रबंधन की परिभाषा व्यापक है. किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपक्रम, एक गृहणी द्वारा अपने घर को सुचारु रूप से चलाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था, विभिन्न संगठनों / सरकारी विभागों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली सिस्टेमैटिक व्यवस्थाओं को हम प्रबंधन के दायरे में परिभाषित कर सकते हैं. जनता को व्यापक प्रशासनिक लाभ मिल सके, अनेक प्रकार की वित्तीय, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए विभिन्न प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाकर सरकार शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है. इसके लिए बैंकों, डाकघरों, रेलवे, विभागों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों की एक लंबी कतार खड़ी है. संविधान के अनुसार विभिन्न संस्थाएं सतत कार्य कर रही हैं. यह प्रबंधन ही है.

इन संस्थाओं को चलाने के लिए मानव संसाधन, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है. समय-समय पर प्रबंधकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है. कौन से अधिकारी या कर्मचारी किस विभाग / क्षेत्र में अधिक सुचारू रूप से कार्य कर सकें यह सुनिश्चित करना पड़ता है. कर्मचारियों के कल्याण को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

एक अच्छे प्रबंधक को उन सभी प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाना होता है जो पिछली एक सदी में प्रतिपादित किए गए हैं. साथ ही, प्राचीन काल से मध्यकाल तक के अच्छे सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होता है. केवल एक या दो प्रबंधन सिद्धांतों से ही काम नहीं चलता. इन सभी का मिश्रण अपनाना उचित रहता है. समय और परिस्थिति को देख कर निर्णय करने होते हैं. फ्रेडरिक टेलर ने प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार हर कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना चाहिए. परंतु आज की परिस्थिति में यह सिद्धांत ही सिद्धांतहीन होकर रह गया है. एक अन्य प्रबंधन सिद्धांत हेनरी फोयाल के Principles of administrative management theory के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदार बनाना चाहिए, संस्था के शेयरों और इक्विटी में हिस्सेदार बनाना चाहिए तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के पारितोषिक देने चाहिए. उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उन पदों पर तैनात करना चाहिए जहाँ वे अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें और अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान कर सकें.

मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकार के कार्य का अभिलेखन होना चाहिए और कर्मचारियों को प्रबंधकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए. इसी प्रकार एल्टोन मायो ने मानव संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है. यह एक बेहतरीन सिद्धांत है. अमेरिकन सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकगृगोर ने एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार प्रबंधक ही कर्मचारियों के बारे में दो प्रकार से सोचते हैं. जैसे एक प्रबंधक सोचता है कि कर्मचारी ही सभी अनुत्पादकता की जड़ है. दूसरी ओर अन्य प्रबंधक सोचता है कि यदि कर्मचारी और कामगार ही नहीं होंगे तो पूरा संगठन ही समाप्त हो सकता है.

ऐतिहासिक तथ्यों की विवेचना से यह पता चलता है कि किस प्रकार से अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है और संगठन को लाभान्वित किया जा सकता है. बैंक में प्रबंधन तंत्र एक पिरामिड की शक्ल में ऊपर से नीचे तक अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन होता है जो एक ओर अपने संगठन को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है और दूसरी ओर सरकार और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करने का प्रयत्न करता है. ऐसा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार कैरियर प्रगति के मौके देना उचित रहता है. संगठन के कार्य संचालन के लिए किस प्रकार का प्रौद्योगीकरण चाहिए, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है. ग्राहक संतुष्टि बैंकिंग सेक्टर में अलग ही चुनौती है. स्टाफ को समय समय पर प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है. इससे उनमें निपुणता उत्पन्न होती है. आजकल डाटा फ्लो के लिए बढ़िया नेटवर्क का होना भी आवश्यक है. इन सभी कार्यो के लिए सही मानव संसाधन की नितांत आवश्यकता है.

वर्तमान में प्रत्येक विभाग और व्यवसायिक संगठन में अनुशासनिक नियमों का एक निर्धारित सेट होता है जो अनुशासन संबंधी मामलों से निपटने हेतु बने है. आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कानून अपने स्थान पर है.

इस प्रकार प्रबंधन एक कला है जिसमें पारंगतता प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है फिर वह चाहे एक किचन हो, परिवार हो, बैंक हो, डाकघर हो, मैट्रो हो, शैक्षणिक संस्थान हो, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र हो, फौज़ हो अथवा कोई अन्य संगठन.

भावना गौतम
क्षे. का., शिमला

केरल -'भगवान का अपना देश'

केरल, जिसे 'भगवान का अपना देश' के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है. केरल की सुंदर भूमि एक सौम्य आकर्षण है .

एक दिन शाम को मैं अपने परिवार के साथ बैठ कर चाय पीते समय कहीं घूमने जाने के बारे में बातचीत कर रहा था तभी अचानक से ही हमारी जीवन संगिनी के मन में केरल की खूबसूरती देखने का विचार आया. केरल की खूबसूरती के बारे में बातचीत करते-करते आखिरकार हमने केरल की यात्रा करने का विचार बना लिया. केरल जाने के लिए फ़्लाइट रिजर्वेशन कर हम दोनों बैंक से छुट्टी लेकर फ़्लाइट से केरल की यात्रा करने के लिए निकल गए.

केरल तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है - उन्नत भूमि जो पश्चिमी घाटों से होकर लहरदार पहाड़ियों के भीतरी हिस्सों और घाटों से होकर अनेक सुंदर बैकवाटर, एक दूसरे से जुड़ी नहरों और नदियों की अटूट 580 कि.मी. लंबी तटरेखा तक फैला है. घने जंगलों से आच्छादित वन्य क्षेत्र और अन्य इलाके चाय और कॉफ़ी के बागानों या अन्य खेतों से भरपूर हैं. इस राज्य का ज्यादातर क्षेत्र हरा-भरा है जिसके कारण यहां हमेशा शांत अनुभव मिलता है. पूरे वर्ष खुशनुमा और समान जलवायु से संपन्न केरल ट्रापिकल भूमि है जहाँ आप अद्भुत शांति का अनुभव कर सकते हैं. यहाँ मानसून (जून-सितंबर और अक्तूबर-नवंबर) और गर्मियों का मौसम विशेष रूप से महसूस होता है जबकि शीत ऋतु में तापमान सामान्य स्तर यानी 28-32 डिग्री से कुछ ही कम होता है. यहाँ की खुशनुमा जलवायु पर्यटकों को खुश कर देती है.

सबसे पहले हम केरल के दक्षिण छोर पर पहुंचे. हम जब कोची एरणाकुलम में लैंड करने वाले थे तभी ऊपर से ही हम कोची एरणाकुलम की सुंदरता को देखकर आनंदित हो गए. हरे-हरे पेड़ों से भरे हुए शहर को देख कर हमें बड़ा ही आनंद आ रहा था. यह शहर केरल का सबसे बड़ा शहर है जिसकी सुंदरता वाकई में देखने लायक है. कोची एरणाकुलम भारत का एक व्यवसायिक बंदरगाह भी है. कोची एरणाकुलम देश की नौसेना का मुख्य केंद्र भी है. जब हमने कोची एरणाकुलम के बंदरगाह को देखा तब मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग में आ गए हों. दोपहर में हम घूमते हुए लंच करने के लिए निकले. केरल के सभी समुदायों के लिए चावल मुख्य आहार है. यहाँ चावल के अनेक उपयोग होते हैं और उनकी अनेक स्थानीय किस्में होती हैं जिस कारण यहां दुनिया की कुछ बेहतरीन चावल रेसिपी विकसित हुई हैं. चावल ऐसा आहार है जो प्रत्येक मलयाली व्यक्ति के भोजन का मुख्य आधार है. यहाँ के विविधतापूर्ण भोजन में चावल के बिना कोई भी आहार नहीं होता. हमने भी मालाबार बिरयानी का भरपूर लुत्फ उठाया.

कोची एरणाकुलम से होते हुए हम लोग यात्रा करते हुए नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे थे. नीलगिरी की सुंदरता की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है. हमने 2 से 4 घंटे तक नीलगिरी पर्वत पर रुक कर आनंद प्राप्त किया था. इसके बाद हम नीलगिरी पर्वत से आगे बढ़ गए. जब हम नीलगिरी पर्वत से आगे बढ़ते गए तब हमें हरियाली, हरे भरे खेत, पेड़ पौधे दिखने लगे.

नीलगिरी पर्वत से तकरीबन 2500 फुट की ऊंचाई पर सुंदर-सुंदर चाय के बागान भी लगे हुए हैं. चाय के बागानों की सुंदरता दर्शनीय है. जब हम पहाड़ों की ढलान पर चाय के बागान को देखते हैं तब हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है. इसके बाद हम नीलगिरी पर्वत से होते हुए माट्टुपेट्टी डैम पहुंचे. जहां पर हमने बहुत इंजॉय किया. माट्टुपेट्टी डैम में घूमते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम जन्नत की सैर कर रहे हों. इसके बाद हम निरंतर आगे बढ़ते चले गए. जब हम नीलगिरी पर्वत पर स्थित थेक्कडी पहुंचे तब वहां के झरने, पहाड़, हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे.

थेक्कडी में स्थित पेरियार झील अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है. जब हम सभी लोगों ने पेरियार झील की सुंदरता को देखा तब हम

बहुत आनंदित हुए. थेक्कडी पहुंचने के बाद हम सभी लोगों ने वहां पर स्थित मसालों के उद्यान, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उद्यानों को देखा जिसके बाद हम लोगों ने वहीं पर रात गुजारी. मैं आपको बता दूँ कि थेक्कडी नीलगिरी पर्वत का सबसे सुंदर और छोटा सा शहर है जिसको देखने के लिए काफी पर्यटक आते हैं और आनंदित होते हैं, यही क्षण हमें भी बहुत आनंदित कर रहा था.

इसके बाद हमने यह विचार बनाया कि अब हम अल्लेप्पी घूमने के लिए जाएंगे फिर हम पहुंच गए. केरल में एक अनुभव जो आपको बहुत विशेष लगेगा वह है, यहाँ के हाउसबोट में बैठकर बैकवाटर में यात्रा करना. ये हाउसबोट केट्टुवल्लम के आधुनिक रूप हैं जिनका इस्तेमाल कभी बड़ी मात्रा में सामान ढोने के लिए किया जाता था. समय के बदलने के साथ-साथ, वे अब पानी में तैरने वाले शानदार होटल बन गए हैं जिनमें ज़मीन के होटलों में मिलने वाली सभी सुख-सुविधाएँ मौजूद हैं. इन क्रूज़ की यात्रा के दौरान ग्रामीण केरल के नज़ारे बेहतरीन और अद्वितीय होते हैं.

केरल की प्रमुख यूएसपी 'आयुर्वेद' भी प्रमुख है, राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में और उसके आसपास आयुर्वेदिक मालिश केंद्रों में यात्री आयुर्वेदिक मालिश का आनंद लेते हैं. यहाँ लोग बहुत सारी बीमारियों का भी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज कराने आते हैं. मैंने भी मौक़ा देखते हुए आयुर्वेदिक मालिश करवा ली, आयुर्वेदिक मालिश केंद्र पर आयुर्वेदिक मालिश का अलग ही आनंद था.

इसके बाद हम कोवलम पहुंचे, कोवलम अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समुद्र तट है जिसके साथ तीन समुद्र तट जुड़े हैं. यहाँ रेत पर धूपस्नान, तैराकी, जड़ी-बूटियों पर आधारित शरीर की मालिश, विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम और कैटामारैन क्रूजिंग कुछ प्रमुख आकर्षण हैं. ट्रापिकल सूरज की धूप इतनी तेज होती है कि आप मिनटों में अपनी त्वचा पर इसके प्रभाव को महसूस करने लगेंगे. बीच पर चहल-पहल दोपहर ढलने के बाद शुरू होती है और देर रात तक जारी रहती है.

कोवलम घूमने के बाद हम होटल में रुके. यहाँ होटेल में कांटीनेंटल भोजन से लेकर दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं. इसके बाद हम त्रिवेंद्रम पहुंचे. त्रिवेंद्रम शहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह अद्भुत सुंदर शहर है जो केरल की राजधानी भी है. जब हम त्रिवेंद्रम शहर पहुंचे तब हम वहां के सुंदर-सुंदर होटल, सुंदर-सुंदर इमारतें, पहाड़ी इलाकों को देखकर बहुत आनंदित हुए.

इस तरह से हमने केरल की यात्रा पूरी की. केरल की यात्रा आपको लहरों और हरियाली के माध्यम से एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी. धान के खेतों, गांवों, देहाती घरों, नारियल के पेड़ों, अरब सागर के सुनहरे समुद्र तटों की यह यात्रा किसी का भी मन मोह लेगी. चाय बागान की आकर्षक सुगंध आपको केरल की यात्रा के दौरान एक अलग प्रवास में आपको बुला लेगी. आप लोग केरल राज्य के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में से कुछ का दौरा करने का अवसर कभी मत चूकिए. यह यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी.

राहुल
मानव संसाधन, कें. का. मुंबई

डेस्क प्रशिक्षण - राजभाषा कार्यान्वयन की एक महत्वपूर्ण कड़ी

राजभाषा कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण मदों में से एक है शाखाओं एवं कार्यालयों में सभी स्टाफ सदस्यों को उनके डेस्क पर निष्पादित किए जा रहे कार्यों को करने हेतु डेस्क प्रशिक्षण प्रदान करना. पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं हमारे बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जिनमें कार्यालयों तथा शाखाओं से सभी संवर्ग के कर्मचारियों को नामित किया जाता है. लेकिन शाखाओं और कार्यालयों में किसी स्टाफ सदस्य के डेस्क पर जाकर उनसे आत्मीयता से बातें करते हुए उनके दैनिक कार्यों को समझते हुए वहाँ सरलता से हिंदी के प्रयोग की जानकारी प्रदान करने से एक अलग प्रभाव छोड़ती है, जोकि हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग को और आगे ले जा सकती है.

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2023 में संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 173वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि अंचलीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं ज्ञानार्जन केंद्रों द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशालाओं एवं डेस्क प्रशिक्षणों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए. इसका लाभ यह होगा कि राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़ा बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिवर्ष अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए नई ऊर्जा के साथ हिंदी को और आगे बढ़ाएंगे. इसी क्रम में राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखाओं/कार्यालय के किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षण के दौरान डेस्क प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया गया है. नया वित्तीय वर्ष आ चुका है, हम सभी राजभाषा अधिकारी निरीक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शाखाओं का दौरा करने वाले हैं.

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि डेस्क प्रशिक्षण का उद्देश्य उस शाखा/कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का जायज़ा लेना और उस शाखा/कार्यालय में पदस्थ सभी स्टाफ सदस्यों की राजभाषा कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराना है. मैं यहाँ कुछ मुख्य बातें दुहराना चाहता हूँ ताकि राजभाषा अधिकारी ज्यादा से ज्यादा स्टाफ सदस्यों को लाभान्वित कर सकें.

- अग्रिम रूप से डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना देते हुए कार्यालय आदेश/पत्र जारी किया जाए और सभी स्टाफ सदस्यों को सक्रिय रूप से भाग लेने की सलाह दी जाए.
- शाखा/ कार्यालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के हिंदी रोस्टर संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करें और उसे सीआरएस पोर्टल में अद्यतन करें. हिंदी रोस्टर प्रारूप की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जाए और शाखा तथा क्षे.का में रखी जाए.
- क्षेत्र की सभी शाखाओं / कार्यालयों के सभी अधिकारियों और लिपिकीय स्टाफ सदस्यों से उक्त प्रारूप प्राप्त किया जाना चाहिए.
- वार्षिक कार्य योजना में दिए गए लक्ष्यानुसार, सभी शाखाओं और क्षे.का/ अंचलीय कार्यालय में डेस्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए.
- डेस्क प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्यालय और अंचल कार्यालय में अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर शेष सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्क प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाए.
- क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचल कार्यालयों में आयोजित डेस्क प्रशिक्षण की रिपोर्ट कोर राजभाषा सोल्यूशन में अपलोड की जाए. डेस्क प्रशिक्षण से संबंधित विवरण शाखा निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अपलोड किए जाए.
- केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों में भी अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर शेष सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्क प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि संबंधित विभागों में तैनात सभी स्टाफ को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. विभाग में स्टाफ सदस्यों की संख्या अधिक होने पर अलग-अलग दिनों में डेस्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाए.
- केंद्रीय कार्यालय के विभागों में आयोजित डेस्क प्रशिक्षण की रिपोर्ट कोर राजभाषा सोल्यूशन में अपलोड की जाए.
- प्रत्येक स्टाफ सदस्य को अपने कार्य यथा कम्प्यूटर पर हिंदी पत्राचार, हिंदी में द्विभाषिक ई-मेल भेजना, सीआरएस में पत्र प्रबंधन, रजिस्टरों में हिंदी प्रविष्टियां करना, हिंदी में वाउचर बनाना आदि को हिंदी में करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें. स्टाफ सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों / दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में भरें और संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त करें.
- सभी फाइलों / रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी में लिखने और नोटिंग / रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में करने हेतु प्रशिक्षण दें.
- काउंटर बोर्ड और सूचना पट्ट की द्विभाषी/ त्रिभाषी रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करें.
- सीआरएस में पत्र प्रबंधन, आवक / जावक पत्राचार का रिकार्ड सीआरएस में रखने की जानकारी दें.
- कंट्रोल पैनेल से 'ऐड लैंग्वेज' फीचर के माध्यम से सभी पीसी में यूनिकोड हिंदी फांट एनेबल करें. पीसी उपयोगकर्ता को हिंदी टाइपिंग सिखाएं.
- पत्राचार के नेमी प्रारूप द्विभाषी रूप में तैयार करें, यथा अनुसरण पत्र, अनुस्मारक पत्र, आवरण (फारवर्डिंग) पत्र आदि.
- ई-मेल सिग्नेचर हिंदी / द्विभाषी बनाने में सहयोग प्रदान करें. हिंदी में ई-मेल के लिए मानक वाक्यांश बनाकर दें.
- उपस्थिति रजिस्टर को अनिवार्य रूप से हिंदी / द्विभाषी बनाया जाए.

- पत्राचार के लिए द्विभाषी अंतर कार्यालयीन पत्र शीर्ष तथा सामान्य पत्र शीर्ष का प्रारूप उपलब्ध कराएं.
- सभी फाइलों / रजिस्टरों के नाम द्विभाषी लिखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें.
- प्रेषण रजिस्टर की सभी प्रविष्टियों को हिंदी में कराना सुनिश्चित करें.
- कार्यपालकों को सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली हिंदी टिप्पणियों के मानक वाक्यांश उपलब्ध कराएं.
- शाखा/कार्यालय में प्रयोग हो रहीं रबड़ की मुहरों की जांच करें, यदि केवल अंग्रेजी भाषा में मुहरें हैं तो उन्हें द्विभाषी में बनाने के लिए अनुवाद उपलब्ध कराएं.
- सीआरएस में शाखा की प्रोफाइल को अद्यतन करें.
- शाखा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के प्रारूप को भरने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करें.
- यदि शाखा नराकास की सदस्य है, तो नराकास की छमाही रिपोर्ट भरने, छमाही बैठक और विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता आदि की जानकारी प्रदान करें.
- यदि चालू तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अब तक आयोजित नहीं हुई है तो शाखा प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कराएं. इस बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण मदों की चर्चा करें.
- इसके अलावा, शाखा / कार्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य विषयों पर समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें.
- डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन की रिपोर्ट बनाते समय स्टाफ सदस्य के कार्यों का वर्णन करें तथा प्रशिक्षण का ब्यौरा दिया जाए. साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित डेस्क प्रशिक्षण फार्मेट भी अपलोड करें.

डेस्क प्रशिक्षण राजभाषा कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण साधन है. इसका इस्तेमाल करते हुए बैंक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बैंक में हिंदी कार्यान्वयन को नई ऊँचाईयों पर ले जा सकते हैं.

रामजीत सिंह
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, कें. का., मुंबई

भारतीय अर्थव्यवस्था- एक विवेचना

भारत का आर्थिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से आरम्भ माना जाता है. सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यत: व्यापार पर आधारित प्रतीत होती है जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है. लगभग 600 ई.पू. महाजनपदों में विशेष रूप से चिह्नित सिक्कों को ढ़ालना आरम्भ कर दिया था. इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिह्नित किया जाता है. 300 ई.पू. से मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया. राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ, व्यापार एवं वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ाव मिल. पहली और 17वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, भारत के पास प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जो दुनिया की संपत्ति के एक तिहाई और एक चौथाई के बीच नियंत्रण रखता है. मुगल काल (1526-1858 ई.) के दौरान भारत ने इतिहास में अभूतपूर्व समृद्धि का अनुभव किया. ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरे इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई.

आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा. सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कृषि प्रधान है. स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1950-51 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की; तब से हर 5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं.

जिसमें प्रत्येक बार उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए जरूरी होता है. भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन उद्योगों (उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत सामान दोनों), सेवा क्षेत्र (निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग प्रणाली आदि) और सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास शक्ति, ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि. भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में बड़ी वृद्धि देखी है. इस उछाल का श्रेय काफी हद तक सेवा क्षेत्र को जाता है. कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को भी वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए सुधारा गया है और विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि देखी गई है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है. कई नए बड़े पैमाने के साथ-साथ लघु उद्योग भी हाल के दिनों में स्थापित किए गए हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी साबित हुआ है.

बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ-साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया. भारत सरकार ने जून 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान की थी, तथा नई आर्थिक नीति लागू की. यह नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल) के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गयी थी. इस नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे. इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन (BOP) का निरंतर नकारात्मक होना था. 1991 की नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से विनियमित करना है. नई आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई. नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बाँटकर देखा जा सकता है. अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया. इसके तहत रुपए के विनिमय दर का अवमूल्यन करना, आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपायों पर बल दिया गया.

1991 में भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी. इससे भारत में आर्थिक प्रगति हुई और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है. भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है. ब्रिटेन में जहां अर्थव्यवस्था को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल है.वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवें स्थान पर है, जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है और केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत में विश्व की जनसंख्या के 17% का निवास स्थान है.

भारत से आगे अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हैं. उदारीकरण नीति को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और साथ ही साथ भारत में मुद्रास्फीति (Inflation) की दर भी बढ़ी. भारत सरकार ने लघु और बड़े पैमाने पर उद्योग के विकास को भी बढ़ावा दिया क्योंकि यह समझ में आ गया था कि अकेले कृषि देश के आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पाएगी. स्वतंत्रता के बाद से कई उद्योग स्थापित किए गए हैं. बेहतर कमाई की कोशिश में बड़ी संख्या में लोग कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए.

आज, हमारे पास कई उद्योग हैं यथा, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, जूट और पेपर इंडस्ट्री जिन्होंने हमारी आर्थिक वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है. सेवा क्षेत्र ने हमारे देश के विकास में भी मदद की है. इस क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में वृद्धि देखी है. बैंकिंग सेवा के मजबूत होने से सेवा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पर्यटन और होटल उद्योगों में भी धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है. हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान दे रहा है.

भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से कई सकारात्मक बदलावों से गुजर रही है. यह अच्छी गति से बढ़ रही है. तथापि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकास के क्षेत्र में पिछड़े हैं. सरकार को इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए. भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1993 के 45 प्रतिशत की तुलना में 2011 में घटकर 22 प्रतिशत तक सीमित हो गई है. ये आँकड़े बताते हैं कि नई आर्थिक नीति अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रही है. किंतु भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच बढ़ता अंतराल तथा प्रति व्यक्ति आय के रूप में भारत का कमजोर प्रदर्शन यह बताता है कि यह नीति पूर्णतया समावेशी नहीं हो पाई है. अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए इसे अधिक समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है. लगातार उच्च मुद्रास्फीति और कड़ी वित्तीय स्थितियों सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है.

संतोष कुमार
क्षे. का., ग़ाज़ीपुर

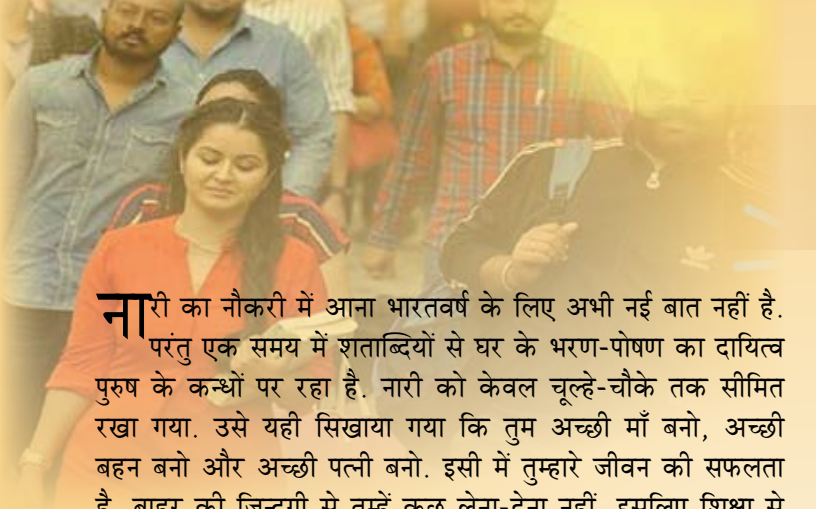

नारी और नौकरी

नारी का नौकरी में आना भारतवर्ष के लिए अभी नई बात नहीं है. परंतु एक समय में शताब्दियों से घर के भरण-पोषण का दायित्व पुरुष के कन्धों पर रहा है. नारी को केवल चूल्हे-चौके तक सीमित रखा गया. उसे यही सिखाया गया कि तुम अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन बनो और अच्छी पत्नी बनो. इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है. बाहर की जिन्दगी से तुम्हें कुछ लेना-देना नहीं. इसलिए शिक्षा से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं. नारी इस घरेलू दायित्व को लम्बे समय तक निभाती रही. वह घर की चारदीवारी में बन्द रही. दाल-भात-बेसन को उसने अपनी नियति मान लिया. परिणाम यह हुआ कि बाहर की जिन्दगी से उसका सम्पर्क टूट गया.

स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय, गाँधी आदि सामाजिक नेताओं के प्रयास से उनका सम्पर्क पुन: शेष विश्व से जुड़ा. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उनका सामाजिक सरोकार बढ़ा. धीरे-धीरे नारी-शिक्षा पर बल दिया गया. शिक्षा से चेतना जागी. उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ. परिणामस्वरूप वे पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर अर्थोपार्जन के क्षेत्र में कूद पड़ीं.

वर्तमान दशा- वर्तमान भारत में प्रगतिशील समाज की नारियाँ नौकरी करने में गौरव मानती हैं. समय ने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी पुरुष से अधिक कुशल, ईमानदार और जिम्मेदार कर्मचारी है. जिन पदों पर नारियाँ आसीन हैं, उनमें अपेक्षाकृत बहुत कम बेईमानी या भ्रष्टाचार है. स्वभाव से कोमल होने के कारण न ही वे रिश्वत और घूस की कायल होती हैं, न किसी को व्यर्थ ही परेशान करती हैं. यही कारण है कि जन-सम्पर्क से जुड़ी नौकरियों पर महिला कर्मचारियों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है.

जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, नारियों ने कर्म के सभी क्षेत्रों में नाम अर्जित किया है. शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में तो वह पहले से ही श्रेष्ठ मानी जाती रही है, आज उसने पुलिस, सेना, पाइलट, वकील, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत को कुशल प्रशासन दिया. श्रीमती सरोजिनी नायड़ ने राज्यपाल का पद संभाला. श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती दौपदी मुरमु ने राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई. अन्य पदों पर भी नारियाँ अच्छा कार्य कर रही है.

नारी के नौकरी में आने से अनेक लाभ हुए हैं. सबसे पहला लाभ नारी सम्मान को हुआ है. काफी समय तक आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित होने के कारण नारी की निजी पहचान नहीं थी न उनका आत्मसम्मान था. घर के सब फैसलों पर पिता का वर्चस्व होता था. नारी विवश थी. नौकरी में आने से उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला है. अब परिवार को चलाने में वह बराबर की सहयोगिनी होती है. अब उसकी पहचान 'पत्नी' के रूप में नहीं, बल्कि 'जीवनसंगिनी' के रूप में विकसित होने लगी है. उसे घर में ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी सम्मान मिलने लगा है. नौकरीशुदा महिलाएँ अब पतियों के अत्याचार का मुकाबला कर सकती हैं. वे अपनी आजीविका के बल पर अपना निर्वाह कर सकती हैं.

नारी के नौकरी में आने से समाज की शक्ति दो गुना हो गई है. जो नारी पहले घर की चहारदीवारी में कैद होकर अपनी प्रतिभा को बेकार कर रही थी, अब उसका सदुपयोग होने लगा है. पूरा समाज नारी की क्षमता से लाभान्वित हुआ है. नारी के नौकरी में आने से कार्यालयों की कार्य कुशलता में भी सुधार हुआ है. समाज में आर्थिक समृद्धि बढ़ी है.

नारी के नौकरी में आने के कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं. सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं. परिणाम स्वरूप बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव दिखता है. जिससे कुछ लोग सोचने लगे हैं कि नारी को तब तक नौकरी में नहीं आना चाहिए, जब तक कि उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते.

नौकरी में आने से नारी का अपना जीवन भी मशीन सदृश्य बन गया है. उसे ऑफिस के काम तो पुरुष के समान करने ही पड़ते हैं, घर के सभी काम भी उसे करने पड़ते हैं. इस तरह वह सदा बोझ से लदी-लदी रहती है. अभी हमारा समाज यह स्वीकार नहीं कर सका है कि नारी घर के कामों से पुरुष की भाँति स्वतंत्र हो सके. उधर पुरुष भी घर के कामों में पत्नी को सहयोग देने पर राजी नहीं हुआ है. परिणामस्वरूप नारी का जीवन भागदौड़ और आपाधापी की कहानी बन कर रह गया है.

नारी के नौकरी में आने से परिवार का सन्तुलन बिगड़ने लगा है. पहले पति और बच्चे घर आते थे तो उनकी दिन-भर की थकान, व्यथा और उदासी को पत्नी हर लिया करती थी. अब सभी लोग अपनी-अपनी समस्याएँ लिए घर आते हैं और एक-दूसरे का क्लेश बढ़ाते हैं. जिन परिवारों में पुरुष अभी भी अपनी 'पति' वाली रौबीली आवाज नहीं छोड़ पाते, उनका जीवन पूरी तरह युद्ध का मैदान बन जाता है.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नारी का नौकरी में आना सौभाग्य का चिह्न है. इससे होने वाले लाभ हानियों की तुलना में अधिक है. हानियाँ भी ऐसी है कि उन्हें सन्तुलित उपायों से ठीक किया जा सकता है. यदि पुरुष सहयोगी रुख अपनाए तो घर-गृहस्थी सुचारु रूप से चल सकती है. इससे वह स्वावलम्बी बनती है. उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है. उसका व्यक्तित्त्व विकसित होता है तथा घर परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है. इस कारण समाज में प्रगतिशीलता को बढ़ावा मिलता है.

सिम्पल कंवर
क्षे. का., दिल्ली (दक्षिण)

बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक का मुख्य कार्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, वित्तीय नियोजन करना एवं बैंकिंग सुविधाएं सभी आय वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है. वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कोई भी बैंक बहुत पीछे नहीं है सभी बैंक यह काम बखूबी कर रहे हैं बैंकिंग उत्पाद भी सभी बैंका में लगभग एक समान ही है तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर है तो मानव संसाधन का, उसके प्रबंधन का. कार्मिक किसी भी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान एवं संवेदनशील पूंजी होते है.

कोई भी तकनीकी विकास, परिवर्तन, प्रगति, मानव मस्तिष्क की ही देन है, मानव संसाधन ही किसी भी संस्था का स्तंभ है, ऐसे में बेहद आवश्यक है कि मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्ट तरीके से किया जाए, खासकर बैंकिंग संस्था में, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यदि रीढ़ मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी.

बैंको में मानव संसाधन : बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन कई स्तर पर और कई तरीकों से किया जाता है, जिसे मानव संसाधन आयोजन कहा जाता है. मानव संसाधन का सही अर्थ है सही कार्य के लिए सही व्यक्ति, सही जगह एवं सही समय पर उपलब्ध रहे, जिससे सभी कार्मिक मिलकर संस्था के लक्ष्य को पूरा कर सकें साथ ही स्वयं का भी विकास करें, और यह आयोजना बैंक में स्टाफ और संस्था की जरूरत को ध्यान में रखकर की जाती है. यह एक सतत क्रिया है, जिसके चरण संस्था के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, पर मुख्यत: निम्न होते हैं:

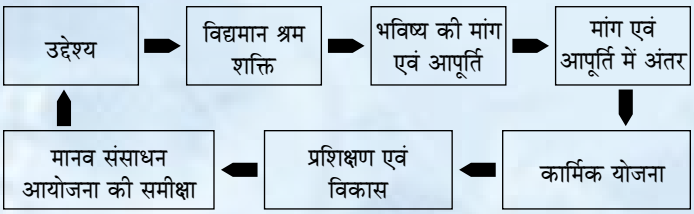

उद्देश्य: संस्था का उद्देश्य उसकी जरूरत एवं लक्ष्यानुरूप हो सकता है, जैसे नए पदों का सृजन करना, सेवानिवृत्ति/इस्तीफा देने के कारण आई कमी को पूरा करना, नई शाखा बैंकिंग विस्तार के कारण आई जरूरतों को पूरा करना, विलयन/नई प्रोफ़ाइल/स्ट्रीम का विकास, विशेषज्ञ नियुक्ति आदि

विद्यमान श्रम शक्ति : इससे आशय है कि अभी आपके पास कितनी श्रम शक्ति (मैन पावर) वर्तमान में है, उनका आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और वह अभी क्या कार्य कर रहे हैं, कई बार जो श्रम शक्ति आपके पास है उसे ही प्रशिक्षण देकर उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है लेकिन कई बार पर्याप्त कार्मिक नहीं होने के कारण या कौशल नहीं होने के कारण हमें आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

- **भविष्य की मांग एवं आपूर्ति:** जब आप वर्तमान श्रम शक्ति का पता कर लेंगे उसके बाद प्रश्न आयेगा कि भविष्य में कार्मिकों की कितनी मांग होने वाली है और क्या संस्था उतनी आपूर्ति कर पाएगी? क्योंकि भर्ती करना एक कठिन/समय लेने वाली एवं महंगी प्रक्रिया भी हो सकती है. भविष्य की मांग निर्धारण करने के कई तरीके है जैसे
  - ➢ एक्सपर्ट फोरकास्ट: इसमें आता है डेल्फ़ी तकनीक, सर्वे करना आदि.
  - ➢ ट्रेंड विश्लेषण : इसमें प्रबंधक द्वारा पूर्व में किए गए अनुमान, सांखिकीय अनुमान आदि का सहारा लिया जाता है.
  - ➢ कार्य का विश्लेषण: इसमें विभाग या संस्था के कार्यभार को देखा जाता है.
  - ➢ कार्मिकों का विश्लेषण : जब संस्था को कोई लक्ष्य पूरा करना होता है तब उसे अपने कार्मिकों के कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए, इसी के द्वारा आप सही जगह पर सही कार्मिक, सही समय पर प्रदान कर सकते हैं.
  - ➢ गणितज्ञ तरीके : यह एक तकनीकी तरीका है जिसके द्वारा पूरी आयोजना, बजट, गणना आदि तैयार किया जाता है.

  यह सब अलग-अलग तरह की तकनीक है जिसके द्वारा आप भविष्य की मांग एवं आपूर्ति की गणना कर सकते हैं. बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी तकनीक अपना सकती है.
- **कार्मिक आयोजना:** कार्मिक आयोजना जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कार्य हैं जैसे अपनी मांग को प्रबंधन के सामने रखना, प्रबंधन का आपकी मांग से सहमत हो जाना, विज्ञापन देना, परीक्षा लेना, भर्ती एवं चयन प्रकिया, प्रशिक्षण देना आदि. यह कोई छोटा कार्य नहीं है. इसमे समय एवं पैसा दोनों ही लग जाता है.
- **प्रशिक्षण एवं विकास:** चयन के बाद आती है बारी नव-नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की, प्रशिक्षण देने से वह कार्य को ठीक तरह से समझ पाते हैं एवं अपना शत-प्रतिशत दे पाते हैं. प्रशिक्षण भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है:-

  प्रशिक्षण कई तरह का होता है जैसे

  1. ओजेटी- कार्य करते हुए सीखना.
  2. इंडक्शन प्रशिक्षण.
  3. तकनीकी प्रशिक्षण.

4. ई- शिक्षा.

5. क्लासरुम प्रशिक्षक.

6. पुनश्चर्या कार्यक्रम.

7. कार्यशाला.

बैंक की जरूरत के हिसाब से समय-समय पर इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं.

मानव संसाधन आयोजना की समीक्षा: सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण है समीक्षा करना, कि अब संस्था के द्वारा सभी पूर्व की तैयारिया एवं जरूरी कार्य किये जा चुके हैं, क्या पूर्व प्रक्रिया सही हुई है, हमारा जो उद्देश्य था क्या हम उसे प्राप्त करने योग्य बने हैं, क्या अब हम पूर्णत: तैयार है, क्या अब हम सही कार्मिक को सही जगह पर लगा सकते हैं, जितनी श्रमशक्ति की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई है आदि.

श्रमशक्ति आयोजना का महत्व: बैंक में श्रम शक्ति आयोजना बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही संजीदगी से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब सही श्रमशक्ति होगी तभी आप निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे:

गुणात्मक उत्पादकता, सुदृढ़ भर्ती प्रक्रिया, अभिप्रेरित स्टाफ, संस्था के प्रति समर्पण, समयानुसार कार्य, ग्राहक सेवा.

उपर्युक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जरूरी है बैंक में कार्यरत स्टाफ अभिप्रेरित रहे, और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनका मनोबल बना रहे.

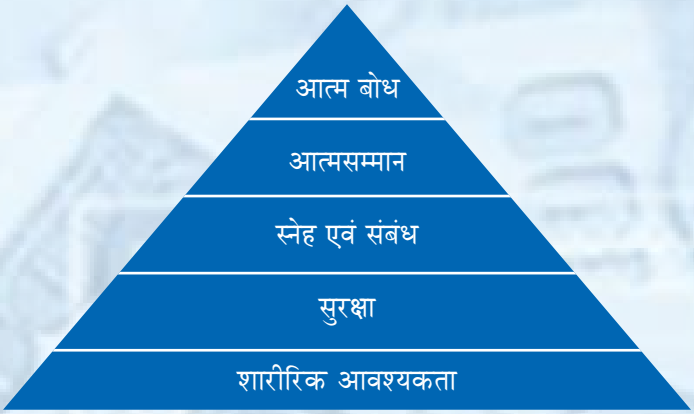

- **शारीरिक आवश्यकताएँ :** शारीरिक आवश्यकताएँ मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान. मानव संसाधन विभाग कार्मिक की इन आवश्यकतों का ध्यान रखता है. जिसके चलते बैंक कार्मिकों को सरकारी आवास देते हैं या मकान किराए की प्रतिपूर्ति करते हैं, एचआरए देते है, कम दर पर कैंटीन सुविधा देते है, यूनिफॉर्म देते हैं आदि.

- **सुरक्षा:** प्रथम चरण के पश्चात कार्मिक अगले चरण की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी सुरक्षा अर्थात स्थिरता के बारे में सोचता है, क्या यह संस्था मुझे सुरक्षा दे पाएगी? क्या यहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है? यदि वह सुरक्षित महसूस करेगा तभी संस्था के प्रति समर्पण रखेगा. इसी के लिए बैंकों में जॉब सुरक्षा, कार्यस्थल में यौन शोषण के विरुद्ध समितियों का गठन होता है, व्हिसलब्लोअर आदि नीतियों का निर्माण किया जाता है.

- **स्नेह एवं संबंध:** सुरक्षा के बाद कार्मिक को चाहिए कि संस्था में उसे अपनापन मिले, सम्मान मिले, उसके कुछ मित्र बने क्योंकि आपके दिन का एक बड़ा भाग आपके कार्यालय में व्यतीत होता है. ऐसे में जरूरी है कि आपको यहां आत्मीयता का वातावरण मिले.

- **आत्मसम्मान :** स्नेह और सम्मान की पूर्ति होने के पश्चात उसे कार्यालय में, समाज में आत्मसम्मान की आवश्यकता महसूस होती है, जिसके लिए वह चाहता है उसे गौरवपूर्ण पद प्राप्त हो, वो अपनी अलग पहचान बना सके, खुद को विशिष्ट बना सके और कार्यालय के लोगों से सम्मान प्राप्त कर सके. इसके लिए पदोन्नति, पसंद का काम मिलना. कार्मिक को यह महसूस होना कि वह संस्था के लिए एक पूंजी है, यह बेहद जरूरी है.

- **आत्मबोध :** मैस्लों एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मबोध को महत्वपूर्ण माना और बैंकिंग उद्योग में यह एकदम सटीक लगता है, बैंक में पदोन्नति होने के बाद भी, सम्मान मिलने के बाद भी कार्मिक तलाश करता है आत्मबोध का, ताकि उसने जो पाया है उसे दूसरों को लौटा सके एवं अपनी संस्था के काम आ सके और इससे उसे आंतरिक खुशी प्राप्त होती है.

यदि संस्था का स्टाफ खुश रहेगा तो संस्था का वातावरण सकारात्मक रहेगा और बाहरी दुनिया में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, अभी कोविड जैसी महामारी ने हम सभी को दुनिया का अलग ही रूप दिखाया. न जाने कितने लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी और न जाने कितने लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी. ऐसी स्थिति में जिस संस्था ने अपने मानवबल का साथ नहीं छोड़ा और उसे जोड़े रखने के लिए अलग-अलग तरह की सुविधाएं प्रदान की, जैसे घर से काम करने की सुविधा, अपनी सुविधा अनुसार समय पर काम करना (फ्लेक्सि टाइमिंग), मेडिकल सुविधाएं, कार्मिक एवं परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं देना, कोविड दवा की प्रतिपूर्ति, संस्था में टीकाकरण के कैंप लगवाना आदि ऐसे संस्था के कार्मिक भी उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं. ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो हमें संस्था का कार्मिकों के प्रति दायित्व, स्नेह, सुरक्षा का आईना दिखाता है.

पूजा वर्मा
क्षे.का.बेंगलूरु (दक्षिण)

नैनीताल

नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है जो कि कुमांऊ पहाड़ियों के बीच स्थित है. यह विलक्षण पर्वतीय स्थल है जो कि नैनी झील के चारों ओर बनाया गया है और जिसके कारण इसको नैनीताल नाम से जाना जाता है.

समुद्र तल से 1938 कि. मी. की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अपनी झीलों और सुरम्य वातावरण के लिए मशहूर है जहाँ घूमने के लिए नैना देवी मंदिर, नैना पीक, टिफिन टॉप, स्नो व्यु पॉइंट, नैनीताल जू, मॉल रोड, हनुमान गढ़ी, कैंची धाम, भीमताल, तिब्बती मार्केट, सात्ताल, लेक एक्वेरियम आदि है. नैनीताल में बोटिंग, रोपवे, पैराग्लाइडिंग आदि एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है.

खाने में हर प्रकार का भोजन पहाडी स्थानीय पकवान, मिठाई, आलू बुखारा, चेरी जैसी फलों का भी आनंद लिया जा सकता है. नैनीताल पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस, कार एवं फ्लाइट द्वारा देहरादुन से पहुँच सकते है. घूमने के लिए गर्मियों में पीक सीजन एवं सर्दियों में स्नो फाल का मजा लिया जा सकता है.

इसके अलावा नैना देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जिसे भारत के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है. परिवार एवं बच्चों के साथ नैनीताल की यात्रा एक सुखद अनुभव कराती है.

सी. ए. अंकिता बाजपेयी
क्षे. का. कानपुर

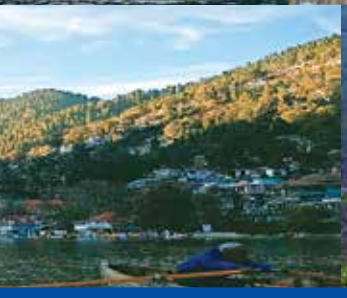

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने "ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स" को अपनाया जो स्वतंत्र रूप से सुधार के 107 उद्देश्य मापदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति को मापता है. सूचकांक 6 विषयों में 107 वस्तुनिष्ठ मीट्रिक पर प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को मापता है और एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है जो दर्शाता है कि बैंक "सुधार कार्यसूची" पर मानदंडों और समकक्षों की तुलना में कहां खड़े हैं.

"जिम्मेदार बैंकिंग" में 13 कार्य-बिंदु और 47 मीट्रिक शामिल हैं. कार्य-बिंदु "ऋण जोखिम हामीदारी को सुदृढ़ बनाना" के तहत, चार मीट्रिक हैं जिनके लिए बैंकों को ऋण प्रस्तावों की मात्रात्मक जोखिम आधारित समीक्षा के लिए एक ढांचा होना आवश्यक है. ये चार मीट्रिक ऋण मूल्यांकन की इस जोखिम आधारित समीक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं.

अत: बैंक के लिए यह आवश्यक है कि गतिशील और अस्थिर बाजार वातावरण और ऋण प्रस्तावों में निहित बाहरी और आंतरिक जोखिम कारकों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम मूल्यांकन और हामीदारी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए और जोखिम कारकों के विश्लेषण के आधार पर एक सही निर्णय लेना चाहिए.

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य

- परिमाणित जोखिम स्कोरिंग मॉडल/मैट्रिक्स के साथ ऋण प्रस्तावों की समीक्षा और जोखिम वर्गीकरण
- जोखिम आधारित समीक्षा के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों की स्थापना करके उद्योग विशिष्ट ऋण मूल्यांकन विशेषज्ञता का विकास
- बोर्ड द्वारा उच्च जोखिम वाले प्रस्तावों की संवीक्षा की अनुमोदित व्यवस्था
- ऋण के संवितरण से पहले सख्त स्वीकृति शर्तों को लागू करना

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा का दायरा

एस.एल.सी.सी., आर.एल.सी.सी. और जेड.एल.सी.सी. के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रक्रिया होगी:

- 10.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के प्रस्तावों के साथ एम. एस.एम.ई. प्रस्ताव (नया/वृद्धि)
- खुदरा ऋणों को छोड़कर (नया/वृद्धि) 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर के साथ

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा निम्नलिखित के मामले में लागू नहीं होगी:

- अनर्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण
- जमा/एस.बी.एल.सी./वित्तीय संपार्श्विक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित ऋण
- मौजूदा स्तर पर समीक्षा/नवीकरण
- तदर्थ/टी.ओ.डी. के लिए प्रस्ताव
- यूनियन गारंटीड इमरजेंसी ऋण लाइन (यू.जी.ई.सी.एल.) के तहत किए गए ऋण

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रकोष्ठ (आर.बी. आर.सी.ए.सी.)

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रकोष्ठ की संरचना:

- क्षेत्रीय एवं आंचलिक जोखिम अधिकारी ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रकोष्ठ का हिस्सा होंगे
- प्रकोष्ठ का नेतृत्व आंचलिक जोखिम अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अंचल के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों से उत्पन्न ऋण प्रस्तावों के अंतिम जोखिम वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार होगा

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा दो चरणों की प्रक्रिया है:

- सत्यापन - क्षेत्रीय कार्यालय में जोखिम अधिकारी द्वारा
- अंतिम रूप देना - आंचलिक कार्यालय में जोखिम अधिकारी द्वारा

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रकोष्ठ के कार्य:

निर्धारित स्कोरिंग मॉडल में खाते की जोखिम रेटिंग करने और निम्नलिखित चार श्रेणियों में से एक में वर्गीकरण करने के लिए

- कम जोखिम - उधारकर्ता से नुकसान की सबसे कम संभावना
- मध्यम जोखिम - नुकसान की औसत संभावना से अधिक
- उच्च जोखिम - उधारकर्ता से नुकसान की उच्च संभावना
- नो-गो - उधारकर्ता से नुकसान की उच्चतम संभावना

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा जोखिम वर्गीकरण:

न्यूनतम सात स्तरों पर उसी प्रस्ताव के ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा द्वारा जोखिम वर्गीकरण अर्थात्

- कंपनी - सभी कंपनी विवरण और वित्तीय मापदंडों को कवर करता है
- समूह - सभी समूह/ संबंधित कंपनियों से संबंधित मापदंडों को कवर करता है
- उद्योग - उद्योग से संबंधित मापदंड
- सुरक्षा - प्राथमिक, संपार्श्विक सुरक्षा, और गारंटी विवरण शामिल हैं
- सुविधाओं का संचालन - सुविधाओं के संचालन से संबंधित मापदंडों को कवर करता है
- रेटिंग - सभी आंतरिक और बाहरी रेटिंग संबंधित मापदंडों को कवर करता है
- विनियामक अनुपालन - अनुपालन, वैधानिक बकाया और पी. एफ. भुगतान शामिल हैं

स्कोरिंग मॉडल चयन मानदंड:

वर्तमान में जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के पास एम.एस. एम.ई. और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए मॉडल हैं. मॉडल चयन मानदंड निम्नानुसार होंगे:

- एम.एस.एम.ई. नया उधारकर्ता (अधिग्रहण)- अधिग्रहण सुविधाओं के लिए
- एम.एस.एम.ई. नया उधारकर्ता (मौजूदा इकाई)- नए उधारकर्ता के पास पहले से ही बिक्री संचालन उपलब्ध है
- पहली बार उधारकर्ता- नई इकाइयाँ- हरित परियोजनाओं के लिए जब तक डी.सी.सी.ओ. प्राप्त नहीं हो जाता (बुनियादी ढांचे के अलावा)
- एन.बी.एफ.सी./बैंक उधारकर्ता- एन.बी.एफ.सी., बैंक और सूक्ष्मवित्त के लिए
- बुनियादी ढांचा- निर्माण चरण (डी.सी.सी.ओ. प्राप्त होने तक)- परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार और सामाजिक अवसंरचना
- बुनियादी ढांचा- प्रचालन चरण (प्रचालन प्रारंभ)- परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार एवं सामाजिक अवसंरचना
- उधारकर्ता- विदेशी प्रचालन- विदेशी शाखाओं के सभी उधारकर्ताओं के लिए
- जी.जे.डी. क्षेत्र- योजनाबद्ध उधारकर्ता- रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए
- पट्टा किराया छूट नमूना- योजनाबद्ध उधार- यूनियन रेंटल स्कीम (एम.एस.एम.ई. रु. 10.00 करोड़ और कॉर्पोरेट रु. 50.00 करोड़ रुपये
- एम.एस.एम.ई. मौजूदा उधारकर्ता- उन सभी उधारकर्ताओं के लिए जो उपरोक्त मॉडल के अंतर्गत नहीं आते हैं

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन: ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित दस मापदंडों पर किया जाएगा:

- भविष्य में नकदी सृजन की क्षमता
- मान्यताओं की तर्कसंगतता
- आंतरिक क्षमता
- बाजार की परिस्थिति
- सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव
- फर्मों की आपसी प्रतिद्वंद्विता
- खरीददारों के साथ सौदेबाजी की शक्ति
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति
- नए प्रवेशकों का खतरा
- स्थानापन्न हो जाने का खतरा

ऋण जोखिम की समीक्षा प्रक्रिया प्रवाह

ऋण जोखिम समीक्षा प्रक्रिया - संवीक्षा समिति की भूमिका

- संवीक्षा समिति (आर.एल.सी.सी.-I) अनुमोदन के लिए जेड.एल.सी.सी. को उपयुक्त जोखिम को कम करने वाले उपायों के आधार पर प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर देगी या सिफारिश करेगी

- संवीक्षा समिति के संयोजक आर.एल.सी.सी.-1 के ऋण प्रभारी होंगे, जहां से प्रस्ताव की उत्पत्ति हुई है
- संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का जोखिम अधिकारी संवीक्षा समिति का हिस्सा नहीं होगा
- जांच समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ ठीक से दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित जोखिम को कम करने वाले उपायों के साथ जेड.एल.सी.सी. के समक्ष रखा जाएगा

उच्च जोखिम/नो-गो प्रस्ताव के मामले में स्वीकृति प्राधिकारी

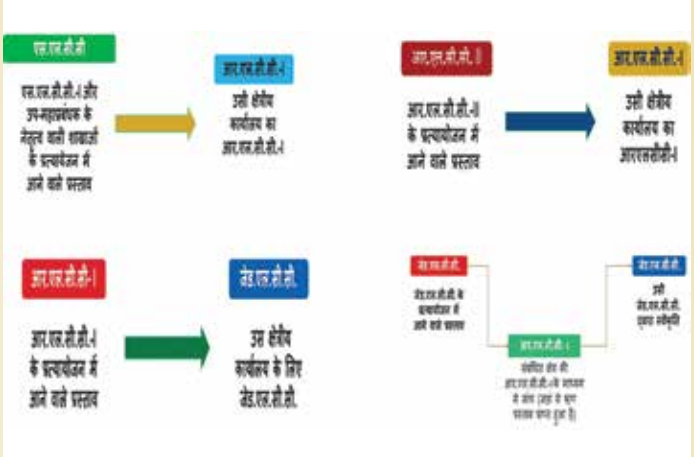

ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा प्रक्रिया के तहत प्रगति रिपोर्ट की रिपोर्टिंग:

- आंचलिक जोखिम अधिकारी जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे
- लेखा-परीक्षा और निरीक्षण विभाग उच्च जोखिम/नो-गो प्रस्तावों के संबंध में संवीक्षा समिति के कामकाज की परीक्षा करेगा
- लेखा-परीक्षा आवृत्ति- वर्ष में कम से कम एक बार

विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के रूप में, ऋण निर्णय लेने (निर्णय लेने आदि को स्वीकार/अस्वीकार करने आदि) में ऋण मूल्यांकन की जोखिम आधारित समीक्षा प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सकता है. विवेकपूर्ण उधार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऋण जोखिम कम करने वाली तकनीकों को लागू किया जा सकता है. ऋण प्रस्ताव की जोखिम आधारित समीक्षा जोखिम वर्गीकरण, जोखिम शमन, ऋण प्रस्तावों की बेहतर जांच और बेहतर परिश्रम में हमारी मदद करेगा.

पीयुष कुमार झा
यूनियन लर्निंग अकादमी, मंगलूरु

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022: मुख्य विशेषताएं

ऊर्जा संरक्षण क्या है?

ऊर्जा संरक्षण से सीधे शब्दों में हमारा तात्पर्य है "कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय". ऊर्जा संरक्षण न केवल सरल एवं फायदेमंद है, बल्कि आज के समय की जरूरत भी है. जब हम उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को कम करते हैं, तो हम जीवाश्म ईंधन की खपत की रफ्तार को भी धीमी करते हैं और पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं. जीवाश्म ईंधन पृथ्वी में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और इसे संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है.

वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में भारत ने देश की जलवायु परिवर्तन सुधार के लिए प्रस्ताव, जो कि पांच तत्वों पर आधारित (पंचामृत) है, को प्रस्तुत किया है:

1. वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना,
2. निर्धारित वर्ष 2030 तक, अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना,
3. 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना.
4. 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन से कम करना.
5. 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक प्राप्त करना,

इस समय विश्व में भारत ने ऊर्जा संरक्षण एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता दिखते हुए ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है.

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को हाल ही में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (संशोधन अधिनियम) के द्वारा संशोधित किया गया. राष्ट्रपति ने दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को

संशोधित अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की और विद्युत मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर, 2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित अधिनियम अपने सभी प्रावधानों के साथ 1 जनवरी, 2023 से पूरे भारत में लागू हुआ. संशोधित अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं :

I. **भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड:** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को आवासीय एवं कार्यालय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड उल्लिखित करने का अधिकार देता है. इस संशोधन से पहले केवल बड़े उद्योग ही अधिनियम के अंतर्गत आते थे. यह कोड ऊर्जा खपत मानकों को क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित करता है. संशोधित संरक्षण बिल 'ऊर्जा संरक्षण और स्थायी बिल्डिंग कोड' प्रदान करता है.

यह नया कोड ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों के लिए अन्य आवश्यकताओं के लिए मानदंड प्रदान करेगा.

II. **वाहनों और जहाजों के लिए मानक:** संशोधित अधिनियम वाहनों (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित) और जहाजों (जिसमें अंतर्देशीय जल या तटीय जल उपयोग किए जाने में सक्षम कोई भी जलयान शामिल हैं) के लिए ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत लाता है. मौजूदा अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार केवल उपकरण और उपकरणों के लिए मानदंड और मानक निर्दिष्ट कर सकती है. उपकरण और उपकरणों के अलावा, संशोधित अधिनियम अब केंद्र सरकार को वाहनों और जहाजों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानदंडों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है.

III. **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की शुरुआत:** संशोधित अधिनियम केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है. जबकि कार्बन क्रेडिट को प्रधान अधिनियम या संशोधित अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन की एक निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक व्यापार योग्य परमिट से है.

यह धारक को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों की विशिष्ट मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है. केंद्र सरकार या कोई भी अधिकृत एजेंसी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अनुरूप पंजीकृत संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना एवं जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है.

IV. **ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों का उपयोग करने की बाध्यता:** ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार को नामित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा के रूप में गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है. अलग-अलग नामित उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के गैर-जीवाश्म स्रोतों के लिए खपत का अलग-अलग हिस्सा निर्दिष्ट किया जा सकता है. नामित उपभोक्ताओं में शामिल हैं:

(i) खनन, इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योग,

(ii) रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र, और

(iii) वाणिज्यिक भवन, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है. निर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत के न्यूनतम हिस्से को पूरा करने में विफल रहने पर संशोधन अधिनियम दंड का प्रावधान भी करता है. संशोधित अधिनियम के तहत, एक निर्दिष्ट उपभोक्ता जो गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत के न्यूनतम हिस्से का उल्लंघन करता है, प्रत्येक विफलता के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देने के लिए बाध्य होगा. उपरोक्त के अलावा, नामित उपभोक्ता अधिनियम के तहत निर्धारित तेल समकक्ष के प्रत्येक मीट्रिक टन की कीमत के दोगुने तक के अतिरिक्त दंड का भुगतान करने के लिए भी बाध्य होगा, जो निर्धारित मानदंडों से अधिक है.

V. **दंड के लिए नियम:** संशोधन अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, अधिनियम नए दंड लागू करता है और पुराने प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मौजूदा दंड को बढ़ाता है. अधिनियम का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत वाहन एवं जहाजों को भी शामिल किया गया. तय मानकों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जहाजों के मामले में, अधिकृत स्तर से ऊपर खपत होने वाली ऊर्जा के बराबर तेल की मात्रा के दोगुने तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.

VI. **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संस्थान:** भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी. संशोधन अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे संस्थानों को मजबूत एवं सुदृढ़ करने का कार्य भी करता है.

VII. **कार्बन बाजार का गठन:** ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक में कार्बन बाजार स्थापित करने के प्रावधान शामिल हैं.

पुनीत कुमार
यूनियन लर्निंग अकादमी, गुरुग्राम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023
डिजिट ऑल - इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वैलिटी

नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में ।
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में ।।

- जयशंकर प्रसाद

नारी, यह कोई सामान्य शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है. नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है. इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवान से की जाती है. सृष्टि के रचियता ब्रह्मा के बाद सृष्टि सृजन में यदि किसी का योगदान है तो वो नारी का ही है. महिलाएं तो भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हैं. जब भी घर में बेटी का जन्म होता है, तब यही कहा जाता हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, जब घर में नव-विवाहित बहू आती है, तब भी उसकी तुलना लक्ष्मी के आगमन से की जाती है. परंतु क्या कभी सुना हैं कि बेटे के जन्म पर ऐसी तुलना की गई हो कि घर में कुबेर आए हैं या विष्णु का जन्म हुआ है, नहीं न! यह सम्मान केवल नारी को ही प्राप्त है जो कि वैदिक काल पुराणों से चला आ रहा है. महिलाओं को सम्मान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है. यह महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए, महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई?

1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी. क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थी. वह महिलाओं के हक़ के लिए आवाज़ उठाती थी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में कामकाजी महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था जब क़रीब पंद्रह हज़ार महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली. उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों, तनख़्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक़ भी मिले.

उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वे एकमत होकर क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गईं. पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटज़रलैंड में मनाया गया. इस तरह से यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था. परंतु अब तक इसे मनाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था. इस दिन को ख़ास बनाने की शुरुआत आज से 115 वर्ष पहले यानी 1908 में तब हुई, जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में एक साथ 8 मार्च 2023 को मनाया गया. यह 112वां महिला दिवस था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य एवं महत्व : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के उद्देश्य समय के साथ और महिलाओं की समाज में स्थिति बदलने के साथ परिवर्तित होते आ रहे हैं. शुरुआत में जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी, तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अब समय परिवर्तन के साथ इसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार है-

i. महिला दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिला और पुरुषों में समानता बनाए रखना है. आज भी दुनिया में कई क्षेत्र ऐसे है जहां महिलाओं को समानता का अधिकार उपलब्ध नहीं है.

ii. कई देशों में अब भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं. इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में भी कोई कमी नहीं देखी गई है. महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य लोगों को इस संबंध में जागरूक करना भी है.

iii. राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं पीछे है और महिलाओं का आर्थिक स्तर भी काफी पिछड़ा हुआ है. महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर उन्हें भविष्य में प्रगति के लिए तैयार करना भी है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम : 2023 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम 'डिजिट ऑल : इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वैलिटी' है. इस थीम का उद्देश्य उन महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना है, जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की उन्नति में योगदान दे रही हैं. इस साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और लड़कियों की असमानता पर डिजिटल लैंगिक फ़र्क़ के असर की पड़ताल भी की जाएगी. संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि अगर ऑनलाइन दुनिया तक महिलाओं की पहुंच की कमी को दूर नहीं किया गया, तो इससे कम और मध्यम आमदनी वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 1.5 ख़रब डॉलर का नुक़सान होगा.

इस दिन जामुनी रंग के कपड़े का महत्व?

जामुनी, हरा और सफ़ेद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है क्योंकि इसे 'इंसाफ़ और सम्मान' का प्रतीक माना जाता है, हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो सफ़ेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है. भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है. पूरे देश में इस दिन महिलाओं को

समाज में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और समारोह आयोजित किए जाते हैं. जगह- जगह महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. समाज, राजनीति, संगीत, फिल्म, साहित्य, शिक्षा क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए महिलाओं को सम्मानित किया जाता है. कई संस्थाओं द्वारा गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

कोई भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भारतीय स्त्रियों की कामयाबी की दास्तान जाने बिना अधूरा सा लगता है, क्योंकि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, यह बात उन्होंने बार-बार साबित की है. वे हर क्षेत्र में अपने साहस, आत्मविश्वास और विवेक से लगातार आगे बढ़ रही हैं. अपनी सूझबूझ से लगातार दुनिया को चकित कर रही हैं. चाहे वे राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य या फिर सैन्य बलों में, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने हर जगह अपना लोहा मनवाया है. उनमें से कुछ इस प्रकार है-

रानी लक्ष्मी बाई (मणिकर्णिका) : झांसी की बहादुर रानी.

सुचिता कृपलानी : भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री

सावित्रीबाई फुले : भारत की प्रथम शिक्षिका और समाज सुधारिका

लता मंगेशकर : स्वर कोकिला

कल्पना चावला : अंतरिक्ष यात्री

रानी अहिल्याबाई होल्कर : कुशल शासक और राजनीतिज्ञ

इंदिरा प्रियदर्शिनी गाँधी : प्रथम महिला प्रधानमंत्री

भारत में महिला सशक्तिकरण : भले ही आज भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी. उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है. उन्होंने भारतीय समाज से सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया. भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रही है. सन 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी राष्ट्रीय नीति का अहम हिस्सा बनाया. आज भारत में महिलाओं को शिक्षा, वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त हैं. धीरे-धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं. भारत में आज महिला आर्मी, एयर फोर्स, पुलिस, आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही हैं. माता-पिता अब बेटे-बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते हैं. लेकिन यह सोच समाज के कुछ ही वर्ग तक सीमित है.

महिला सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को दी थी. महिला सशक्तिकरण नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

- महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को देश में राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना.
- महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति होने वाले हर तरह के शोषण और भेदभाव को समाप्त करना.
- महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.
- समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बराबर हिस्सेदारी प्रदान करना.
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध को समाप्त करना.
- कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना.
- महिला सशक्तिकरण के लिए देश में महिला और पुरुष अनुपात को समान अवस्था में लाना.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्पूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात-पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं. साथ ही पुरुष वर्ग भी इस दिन को महिलाओं के सम्मान में समर्पित करते हैं.

आगे की राह : जिस तरह भारत सरकार ने "एक जिला,एक उत्पाद योजना" द्वारा एक विशेष उत्पाद का चयन कर उसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक विशेष क्षेत्र को चिह्नित करके महिलाओं को समुचित प्रोत्साहन एवं अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि वह भी अपनी पहचान राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर सकें. उदाहरण के तौर पर- हरियाणा में खेलों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होने से उन्होंने भारत का वर्चस्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है. ऐसे ही प्रत्येक राज्य में महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

औरत ही समाज की वास्तविक शिल्पकार हैं, पृथ्वी पर महिलाओं के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती. महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही है. भारत में अभी भी लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर लगभग 948 महिलाएं है. एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक भारत की औसत साक्षरता दर लगभग 77.70% है. 2021 में पुरुष साक्षरता लगभग 84.70% और महिला साक्षरता लगभग 70.30% है. उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की कुल संख्या और साक्षरता दर दोनों ही कम है. इसलिए भारत में महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में बदलाव लाने और समाज में उनके उत्थान के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में बैंको द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे- यूनियन बैंक की नारी शक्ति स्कीम, बैंक ऑफ बड़ौदा की वैभवलक्ष्मी योजना, भारतीय स्टेट बैंक की स्त्री शक्ति योजना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की महिला विकास योजना आदि. साथ ही तीन तलाक कानून के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ किया गया है. सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को वर्ष के एक दिन न मनाकर महिलाओं को उचित सम्मान व अवसर प्राप्त कराने के लिए वर्ष के हर दिन मनाया जाना चाहिए.

प्रवीण कुमार
यूनियन लर्निंग अकादमी, गुरुग्राम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय / क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / स्टाफ महाविद्यालय / प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित महिला विशेष कार्यशालाएँ

के.का.मुंबई में दि.22.02.2023 को महिला कार्यपालकों हेतु विशेष राजभाषा संगोष्ठी

क्षे.म.प्र.का. अहमदाबाद एवं अधीनस्थ सभी क्षे.का.

क्षे.म.प्र.का. बेंगलूरु एवं क्षे.का. बेंगलूरु (दक्षिण)

क्षे.म.प्र.का.रांची

क्षे.म.प्र.का. मंगलूरु एवं क्षे.का. मंगलूरु

क्षे.म.प्र.का. जयपुर एवं क्षे. का. जयपुर

क्षे.म.प्र.का. मुंबई

क्षे.म.प्र.का. हैदराबाद

क्षे.म.प्र.का. विजयवाड़ा

क्षे.म.प्र.का. पुणे

क्षे.का. दिल्ली (उत्तर, मध्य एवं दक्षिण)

क्षे. का. सूरत

क्षे.का. बेलगावी

क्षे.का. ब्रह्मपुर

क्षे.का. आणंद

क्षे.का. पटना

क्षे.का. बालेश्वर

क्षे.का. कानपुर

क्षे.का. रायगड़ा

क्षे.का. मछलीपट्टणम

क्षे.का. जुनागढ़

क्षे.का. नासिक

क्षे.का. करनाल

क्षे.का. कोलकत्ता मेट्रो

क्षे.का. मुंबई ठाणे

क्षे.का. हैदराबाद कोटी

क्षे.का. हैदराबाद सैफाबाद

क्षे.का. दुर्गापुर

क्षे.का. व्हाइटस् रोड चेन्नई

क्षे.का. तृश्शूर

क्षे.का. नागपुर

क्षे.का. बरेली

क्षे.का. अमरावती

क्षे.का. गोवा

क्षे.का. रायपुर

क्षे.का. बंगलूरू (पूर्व)

क्षे.का. इंदौर

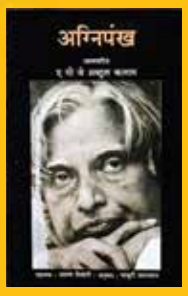

अग्निपंख : एक मनचाही किताब

साहित्य के क्षेत्र में जो अनेक साहित्यिक विधाएं है, उनमें से एक महत्वपूर्ण है 'आत्मकथा'. आत्मकथा का अर्थ है अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को क्रमानुसार सहेजकर उसे एक कथा का रूप प्रदान करना. कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की आत्मकथा में सबसे अव्वल स्थान पर हैं, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम जी की "विंग्स ऑफ फायर- आत्मकथा" जिसका भारत की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है. हिन्दी में 'अग्नि की उड़ान' प्रसिद्ध है. मुझे इस आत्मकथन का मराठी अनुवाद अग्निपंख पढ़ने का मौका मिला. मुझे यह किताब बहुत रुचिकर लगी. कितनी बार भी पढ़ो यह आत्मकथन कुछ न कुछ नयी बातों की ओर ध्यान खींचता है. इस आत्मकथन में श्री अरुण तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा है. कलामजी के साथ आकाश मिसाईल पर काम करते समय तिवारी जी कलाम जी की यादों के खजाने को सबके सामने लेकर आये. कलाम जी की ये यादें सभी के लिए हमेशा प्रेरणादायी रही हैं. तिवारी जी के शब्दों में देखा जाए तो उन्हें कलामजी की जीवन रेखा के इन अनुभवों को लिखते-लिखते एक महान तीर्थयात्रा का अनुभव मिला.

यह पुस्तक डॉ कलाम जी की जीवन की कहानी ही नहीं बल्कि अनेक संघर्षों से सामना करते-करते अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाईलों के विकास की भी कहानी है. इन्हीं मिसाइलों से विकास की भी कहानी है. इन्हीं मिसाईलों से भारत एक मिसाईल सम्पन्न, आत्मनिर्भर देश बना और इसी के साथ डॉ कलाम जी भारत के मिसाईल मैन बन गए.

इस पुस्तक का प्रकाशन राजहंस प्रकाशन ने किया, यह कहानी सिर्फ जीवन के संघर्षों की, दुखों की कहानी न होकर आधुनिक भारत के विज्ञान प्रतिष्ठानों की सफलता-असफलताओं की कहानी है.

तमिलनाडू के रामेश्वरम गाँव में एक गरीब मुस्लिम, नाविक परिवार में पैदा हुए डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम जी को जीवन में अनेक व्यक्तिगत, व्यावसायिक संघर्षो का सामना करना पड़ा. पद्मभूषण, पद्मविभूषण, भारतरत्न जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों को हासिल करने वाले डॉ कलाम जी बहुत ही विनम्र थे. सीधे-साधे लोगों से उनका सदैव संबंध रहा. माता, पिता, परिवार तथा शिक्षकों एवं गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए साथ में काम करने वाले प्रो. विक्रम साराभाई, प्रो. सतीश धवन, डॉ ब्रह्मप्रकाश जैसे वैज्ञानिकों के प्रति आत्मीयता इस आत्मकथन में दिखाई पड़ती है. वे मानते थे कि सृजनशीलता भविष्य की सफलता की पूंजी है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान एक शिक्षक ही इस सृजनशीलता को बच्चों में उत्पन्न कर सकता है. वे हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे.

उनकी यह जीवनगाथा आयु के चार विभागों में बांटी गयी है जो इस प्रकार है - बचपन से 32 सालों तक बुनियादी विकास, उसके बाद के 17 साल सृजन, आगे 20 सालों की साधना और चिंतन. कलाम जी की मिसाईल परियोजना और ज्ञान, अनुभव, विचारों से संबन्धित यह आत्मकथन एक अद्भुत कलाकृति है.

प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अपने प्यारे राष्ट्रपति प्रतिभाशाली लेखक के रूप में कलाम जी हर भारतवासी के मन में बसे रहें. कितने लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिल न सके, लेकिन उनके किताब के माध्यम से उनके सान्निध्य का आनंद आज भी जरूर मिलता है. वे मानते थे कि हमें अपने आपको असहाय महसूस नहीं करना चाहिए. हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति, ईश्वरीय तेज है. ईश्वर ने हमें कुछ न कुछ काम करने के लिए बनाया है. गुरु और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर असीम कृपा की और ईश्वर पर जब मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ तभी उनकी महिमा से रॉकेट और अन्य मिसाईल जन्म लेती हैं जो 'कलाम' नामक एक छोटे व्यक्ति के माध्यम से खुद खुदा ने बनाएं हैं. वे कुरान और भगवदगीता को मानते थे. धर्मनिरपेक्ष कलाम जी को बच्चे और युवक बहुत पसंद थे. अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर नजर डालकर कलाम जी नई पीढ़ी को सीख देते आए हैं. 'इंसान को जीवन में मुश्किलों की जरूरत होती है क्योंकि यही मुश्किलें सफलता का अनुभव कराती है. ये मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है जिसके कारण ज़िंदगी को समाप्त नहीं किया जा सकता'. आप स्वयं का विश्लेषण करें जिससे आप अपनी ताकत को जान सकेंगे, आप अपनी मुश्किलों को आसान बना सकेंगे. वे कहते थे कि 'जीवन में आनेवाली कठिनाईयां तुम्हें तहस-नहस करने नहीं आती बल्कि तुम्हें अंदर की क्षमता, ताकत की पहचान करवाती हैं.'

बच्चों के साथ रहने और उन्हें नई-नई शिक्षा प्रदान करने में कलाम जी को बहुत खुशी मिलती थी. जीवनभर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनेवाले कलाम जी का निधन 27 जुलाई, 2015 को शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर हॉल में बच्चों को पढ़ाते समय ही हुआ.

अग्नि मिसाईल के जनक कलाम जी की इच्छा थी कि हर भारतीय के अन्तर्मन में बसे हुए अग्निबिंदु को पंख मिले जिससे कि इस महान देश का भविष्य उज्ज्वल हो. वे हमेशा कहते रहें कि 'सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते'. अपने मिशन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र चित्त होकर कर्म करनेवाले डॉ कलाम जी खुद को एक साधारण मनुष्य समझने वाले एक असाधारण व्यक्तित्व थे जो हर भारतीय के मन में हमेशा सम्माननीय रहेंगे.

विज्ञानरूपी यह आत्मकथा आज भी उनके सान्निध्य का आनंद दे रही है. आनेवाली युवा पीढ़ी के लिए यह आत्मकथन एक मार्गदर्शक खंडकाव्य है. 'जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए' यह माननेवाले कलाम जी और उनकी यह आत्मकथा वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी.

सुचेता प्रदीप तेंडुलकर
क्षे.का., मुंबई (ठाणे)

एक मौन संवाद

चींटी को देखा,
वह सरल, विरल, काली रेखा
तम के तागे सी जो हिल-डुल
चलती लघुपद, पल-पल मिल-जुल
वह है पिपीलिका पाँति
देखो न किस भाँति
काम करती वह सतत.

प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन जी की यह पंक्तियाँ जब हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाई गईं तो कई सहपाठियों को स्पष्ट नहीं हो पाया कि कवि क्या कहना चाह रहा है और चींटी सतत किस कर्म में लिप्त है. परंतु मुझे यह पंक्तियाँ न केवल समझ में आईं अपितु यह मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां भी बन गईं. चूंकि मैंने अपना बचपन पशु- पक्षियों के बीच बिताया है तो मैं उनकी जीवनचर्या से भलीभांति परिचित हूँ.

आज जब मैं जीवन में पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि समय के साथ-साथ हमारा समाज, हमारे गाँव, हमारी दुनिया कितनी बदल चुकी है. मेरा जन्म बिहार राज्य के तेघड़ा गाँव में हुआ. मेरे पिताजी एक कृषक थे. यह सत्तर के दशक का समय था जब देश में उपभेक्तावादी संस्कृति का इतना प्रभाव नहीं था और कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी. अपने बाल्यकाल का प्रारंभिक समय मैंने गाँव में ही बिताया. कृषि और पशुपालन के इस नैसर्गिक वातावरण ने प्रकृति के साथ मेरा एक अद्भुत रिश्ता स्थापित किया. मुझे दरवाजे पर खेलने के अपेक्षाकृत धान -गेहूँ के फसल के मेड़ पर चलना अधिक भाता. दरवाजे पर लगे गुलाब, गुड़हल से अधिक आकर्षित मुझे सरसों, चने और अरहर के फूल लगते. बसंत की पूर्ण मादकता का अनुभव तो आम्र मंजरी की महक के साथ ही आता. इसकी सुगंध से मैं इस कदर बहक जाता कि बसंत के आगमन से खुश होकर आम्र बाग में जाकर कोयल के कू -कू के स्वर के साथ घंटों सुर में सुर मिलाया करता. आलम यह था कि गरमी के मौसम का अधिकांश समय इसी क्रिया कलाप में आम्र बाग में ही गुजर जाता.

हमारी गौशाला में कुछ गायें व खेत में काम करने वाले बैल भी थे. अपने मित्रों के साथ खेलने की अपेक्षा मुझे इन पशुओं के साथ खेलना अधिक पसंद था. मैं उनसे बातें भी करता, उनके हाव-भाव मुझे बता देते कि वह क्या कहना चाहते हैं. मुझे यही अनुभव हुआ कि ये निरीह पशु केवल प्यार की भाषा समझते हैं. इसकी वफादारी एवं प्रेम मिसाल के काबिल है.

मेरे पिताजी एवं चाचाजी मेरे इस प्रकृति प्रेम को देखकर बहुत खुश होते थे. उनकी यह अटूट आस्था थी कि पंच तत्वों से निर्मित सारे प्राणी तभी प्रसन्न होते हैं जब वे इन तत्वों के संसर्ग में होते हैं. इसलिए वे अक्सर कहा करते थे - जब व्यक्ति तरोताजा महसूस नहीं करते है तो जल से स्नान कर तरोताजा महसूस करते हैं; जब सिर में दर्द हो तो स्वच्छ हवा के सेवन से ही राहत मिलती है; जब हम थक जाते हैं तो धरती पर सोने अथवा नरम घास पर चलने से ही आराम मिलता है. जब हम अधिक ठंड महसूस करते हैं तो आग तापने में जो आनंद मिलता है वह हीटर की ऊष्मा से नहीं मिलता. नदी या समुद्र से आती हवा से हमें जितनी ताजगी मिलती है वह ए.सी. की हवा में नहीं. आकाश की ओर मुख करके तारे चाँद को निहारने से जो सुकून मिलता है वह भौतिक संसाधनों में नहीं. इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उन्होंने कभी भी मेरी बाल सुलभ चेष्टाओं पर लगाम नहीं लगाई.

वह अक्सर कहा करते थे कि प्रकृति से दूर जाना रोग का कारण है एवं प्रकृति के करीब रहना स्वस्थ रहने का नुस्खा. धरती माँ ने इस विश्व की रक्षा के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी -बूटियाँ एवं पौधे अपने कोख में पाले हैं. इसलिए उचित उपचार हेतु इसे पहचानना होगा. इसी विचार से वे हमें कभी -कभी पौधों की विभिन्न प्रजातियों से रूबरू करवाते रहते. वह अक्सर कहते पर्यवरण संरक्षण एवं सुरक्षा हमारी मौलिक ज़िम्मेदारी है. किन्तु भौतिक सुख की लालसा में मानव बेतरतीब प्रकृति का दोहन कर रहा है. प्रकृति से जो पदार्थ हम जिस मात्रा में ले रहे हैं अगर उसी मात्रा में नहीं देंगे तो प्राकृतिक असंतुलन पैदा होगा एवं समस्त जीवन खतरे में आ जाएगा. उनकी ये बातें मेरे मन में इस कदर घर कर गईं कि मुझे यह एहसास होने लगा कि प्रकृति एक खुला एवं विशाल विश्वविद्यालय है. इससे शिक्षा लेकर निश्चित रूप से प्रकृति की सेवा में कुछ अनूठा कार्य किया जा सकता है.

समय के साथ-साथ शिक्षा के बढ़ते बोझ के कारण मैं प्रकृति से दूर होता रहा. यह वह समय था जब देश में कृषि की अपेक्षा सरकारी नौकरी को अधिक महत्व दिया जाने लगा. कुछ समय बाद स्नातक परीक्षा पास करने के बाद मेरी नियुक्ति बैंक में हो गई. मुझे पहली पोस्टिंग गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में मिली. वैसे तो अहमदाबाद एक व्यापारिक केंद्र है किन्तु यह अपने आँचल में बहुत सारे इतिहास को समेटे है. यहाँ की मौसम की शुष्कता बारंबार बढ़ते मरुस्थलीय प्रभाव का आभास कराती थी. मुझे दुख होता कि अगर मानव इसी तरह वन एवं जल सम्पदा का दोहन करता रहा तो कई प्रजाति के वृक्ष एवं पशु पक्षी नष्ट हो जाएगें एवं प्राकृतिक असंतुलन बढ़ेगा; तरह-तरह के नए जीवाणु एवं विषाणु पनपेंगे जो जन - जीवन के लिए खतरे का कारण बनेंगे.

अहमदाबाद का हाल यह था कि गर्मी के मौसम में दिन का तापमान 47-48 डिग्री तक पहुँच जाता था. मेरी धर्मपत्नी को यह गर्मी असह्य लगती थी और उन्होंने गर्मी के मौसम को अपने मायके में बिताने का निर्णय लिया.

पत्नी के मायके जाने का बाद मेरा अधिकांश समय बैठक कक्ष में ही बीतने लगा. फलत: शयन कक्ष प्राय: बंद ही रहता. एक रविवार को मैंने देखा कि शयन कक्ष के सीलिंग पंखे के ऊपर एक चिड़िया की युगल जोड़ी ने अपना घोंसला बना लिया है. मैं यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ. मेरी दोस्ती इस चिड़िया युगल से बढ़ती रही. मैं उनके खाने के लिए अन्न दाने एवं पानी रखकर ही कार्यालय जाता एवं शाम को भी उनके खाने का ध्यान रखता. कुछ दिनों बाद मादा चिड़िया ने चार अंडे दिए और उनसे चार चूजे निकले. इनकी चहचहाट से घर में एक अद्भुत वातावरण सृजित हुआ. मैं लंबे समय बाद इस तरह की खुशी का अनुभव कर रहा था. एक दिन मैंने उससे पूछा तुम बाहर वृक्ष पर भी तो अपना घोसला बना सकती थी? तो उसने कहा अंधा धुन वृक्ष की काटाई से अब लंबे एवं छायादार वृक्ष न के बराबर बचे हैं ! इसपर घोंसला बनाकर अंडे देने एवं सेने के बाद जब बच्चे निकलते हैं तो बाह्य तापक्रम के प्रभाव से हमारे कोमल बच्चे मर जाते हैं. इसलिए तुम्हारे जैसे पक्षी प्रेमी के घर में मैं घोंसला बनाती हूँ.

मन के किसी कोने में मैं इस चिड़िया परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था. एक दिन वही हुआ जिसका मुझे भय था. हुआ यूँ कि मकान मालिक घर बेचने के उद्देश्य से किसी को मकान दिखाने लाए, जैसे ही उन्होंने पंखे का स्विच खोला, एक शिशु खग घबराकर घोंसले से बाहर आ गया और पंखे की ब्लेड से टकराकर जख्मी हो गया. मैंने तुरंत पंखा बंद किया एवं उसका मलहम -पट्टी किया. माता चिड़िया जो पास के चहारदीवारी पर बैठी थी यह दर्दनाक हादसा देख पास आकार सिसकने लगी. जैसे ही मैं शिशु खग के लिए पानी लाने गया माता खग अपने शिशु के पास आयी एवं उसे गले से लगाकर सिसकती रही. जबतक मैं पानी लेकर लौटा तबतक शिशु खग मातृ क्रोड़ में जीवन के चिर सत्य को प्राप्त कर चुका था.

उसका यह रुदन देख मेरा हृदय द्रवित हो उठा. फिर भी संवेदनहीन मकान मालिक ने मुझे ताना देते हुए कहा कि आपने घर में चिड़िया क्यों पाले हुए हैं. इससे गंदगी बढ़ती है; बीमारी बढ़ती है. आप लोग साफ-सफाई का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं. किन्तु इस भौतिकतावादी मकान मालिक को कौन समझाए कि पारिस्थिकी तंत्र के संतुलन से ही जीवन निरोगी एवं संतुलित रहता है.

मैंने इस घटना के बाद घोंसले को घर में ही अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर दिया. पर अब माता चिड़िया मुझसे कटी-कटी रहने लगी. मैंने एक दिन उसे अपने पास बिठाया और उसके साथ संवाद करने की कोशिश की. सांकेतिक भाषा में मैंने उससे पूछा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? उसने क्षण भर को मुझे देखा, फिर मुझे अनुभव हुआ कि मानों वह मुझसे कह रही हो, "पहले शहर में बहुत से पेड़ थे जो हमारा निवास थे, आज इंसान ने अपनी सुख-सुविधा के लिए सारे पेड़ों को काट दिया है, आज हमारे रहने के लिए कहीं जगह नहीं है.भौतिक सुख की इस लालसा में इंसान ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है. पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ समाप्त हो चुकी हैं."

मैं अवाक था, कुछ न कह सका, सोचता रहा "अगर हम पशु, पक्षियों एवं वृक्षों की भाषा को हम मानव समझ सकते तो हमारे और उनके बीच कितना मुखर संवाद होता. यह सच है हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते. किन्तु उनकी सांकेतिक भाषा तो समझ सकते हैं. अगर यह भी कर लें तो हमारा आधा काम हो जाएगा. अगर यह भी नहीं हो तो हम समानुभूति की बात तो समझ सकते हैं. अगर ऐसा हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा. हम एक दूसरे के सह-अस्तित्व को स्वीकारने लगेंगे एवं सह-जीवन को अपना जीवन धर्म समझेंगे". उसी दिन से मैंने प्रण किया कि मैं अपने जीवन में सदा प्रकृति एवं पशु पक्षियों के भलाई के लिए काम करता रहूँगा. इस प्रकृति के रक्षार्थ सह -अस्तित्ववादी विचार धारा का प्रचार प्रसार करूंगा एवं इस कार्य हेतु समस्त मानव को प्रेरित करता रहूँगा. अंत में यही कहना चाहूँगा ;

मत लो पशु, पक्षी व वृक्ष की जान,
अन्यथा धरती हो जाएगी कब्रिस्तान!

रतन कुमार सिंह
क्षे.का., अयोध्या

श्री विश्वनाथ सचदेव

विश्वनाथ सचदेव लेखक, वरिष्ठ स्तम्भकार और नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं. इनका जन्म 2 फ़रवरी, 1942 को साहिबाबाद में हुआ था (यह क्षेत्र अब पाकिस्तान का हिस्सा है) इन्होंने एम.ए. (अंग्रेज़ी साहित्य) तक की पढ़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से की एवं बी. जे. की डिग्री इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी. 1962 में बीकानेर (राजस्थान) से प्रकाशित होनेवाली साहित्यिक पत्रिका 'वातायन' के सम्पादक के रूप में विश्वनाथ सचदेव जी की पत्रकारिता की शुरुआत हुई और राजनीतिक-सामाजिक विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखना भी प्रारम्भ हो गया था. इसके बाद विश्वनाथ सचदेव जी कई पत्र-पत्रिकाओं से जैसे 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'नवभारत टाइम्स', 'धर्मयुग', नवनीत आदि में अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएँ दीं. यूनियन सृजन के संवाददाता श्री सावन सौरव और श्री राजेश जोशी के साथ इनके बातचीत का अंश ...

आपका जन्म साहिबाबाद, पाकिस्तान में हुआ था, कृपया आप अपने बचपन व परिवार के बारे में बताएं.

जैसा कि आपने बताया कि मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ. हम पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर हिंदुस्तान में आए या फिर यह कहेंगे कि हिंदुस्तान ने हमें शरण दी. हालांकि मेरा यह मानना है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब साहिबाबाद हिंदुस्तान में था, तो मैंने अपना देश नहीं छोड़ा है बल्कि अपने ही देश में रह रहा हूं और आज मैं हिंदुस्तान में ही हूं लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है. शुरुआत के चार-पांच साल मैंने क्वेटा बलूचिस्तान में बिताएं. क्वेटा में मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करते थे. तो कुछ साल हम क्वेटा बलूचिस्तान में ही रहे और जब विभाजन हुआ तो हम हिंदुस्तान आ गए. मैं राजस्थान में रहा एवं मेरी सारी पढ़ाई राजस्थान से ही हुई है. मैंने अपनी पढ़ाई मुख्यत: हिंदुस्तान आने के बाद ही पूरी की एवं उच्च शिक्षा मैंने एम.ए.अंग्रेज़ी साहित्य से उत्तीर्ण किया है. तत्पश्चात नागपुर से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और इसी के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यात्रा का आरंभ हुआ.

आपकी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं. आपके अनुसार आपकी सबसे उत्कृष्ट रचना कौन सी है?

यह प्रश्न मेरे लिए बहुत जटिल है एवं इसक जवाब दे पाना मेरे लिए और भी मुश्किल है क्योंकि किसी भी साहित्यकार से, किसी भी रचनाकार से यह पूछना कि उसकी सबसे उत्कृष्ट रचना कौन सी है, यह सबसे कठिन प्रश्न है. मेरे लिए तो सब कुछ ही अच्छा है, मेरे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि मेरी यह-यह रचना सबसे उत्कृष्ट है. मैं लेख लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, मुझे कविता से प्यार है और मेरे लिए सबसे उत्कृष्ट मेरी कविताएं हैं. यह मुझे अच्छा लगता है.

आपने बताया कि आपने अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर किया है तो आपने हिंदी साहित्य में यह मुकाम कैसे हासिल किया ?

हिंदी मैं बचपन से ही पढ़ रहा था और साथ ही मुझे हिंदी साहित्य का काफी अच्छा ज्ञान भी था. मैं कई पुस्तकें पड़ चुका था और स्नातक में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और फिलॉसफी भी मेरे सब्जेक्ट हैं. तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि यह सब चीजें मुझे आती हैं या मैंने पढ़ी हुई हैं. मुझे कुछ नया जानना चाहिए. अत: मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी साहित्य को चुना.

वातायन के संपादक से टाइम्स ऑफ इंडिया तक में आपने काम किया. आपका पत्रकारिता का सफर किस तरह रहा है ?

मैं बहुत संतुष्ट हूं. मेरे पत्रकार या पत्रकारिता के करियर में जो जीवन रहा उसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूं. मुझे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है. मैंने जो चाहा वह मैंने किया और वह मैंने पाया यदि मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं पा सका तो वह मेरी ही कमियां रही होंगी. लेकिन जितनी मैंने कोशिश की उतना मुझे जरूर मिला. मुझे कई अवसर भी मिले. मैंने वातायन से शुरूआत किया. मुझे नवभारत टाइम्स में भी काम करने का मौका मिला.

जो भी मैं करना चाहता था, मैंने किया. मुझे लिखने का मौका भी मिला, ट्रेनी पत्रकार से संपादक बनाना मेरे लिए छोटी बात नहीं थी. बाद में मैं धर्मयुग का संपादक भी बना. जो भी उस पत्रिका में थे लगभग सभी के सभी संपादक बने. इसके लिए हम सबमें कोई न कोई विशेषता रही होगी. लेकिन ग्रुप ने काम करने के लिए जिस तरह का वातावरण दिया उसका भी काफी असर पड़ा होगा. इसलिए पत्रकारिता से मुझे कोई शिकायत नहीं रही, जो भी मुझे मिला काफी मिला. मुंबई शहर में भी और बाहर भी लोग पहचानते हैं, यह मेरे लिए बहुत सुखद है.

बीते दिनों में पत्रकारिता में किस तरह के बदलाव या परिवर्तन आएं हैं.

पत्रकारिता में बहुत तरह के परिवर्तन आ रहे हैं. खासतौर पर हिन्दी पत्रकारिता की दुनिया राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ी है. आजादी के पहले जब हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत हुई तो उससे जुड़ने वाले अधिकतर लोग स्वतन्त्रता सेनानी भी होते थे. जब पत्रकारिता की शुरूआत हुई तो एक मिशन के रूप में लोग पत्रकारिता में आए छोटी बात नहीं है. सभी पत्र-पत्रिकाओं को उस समय जब्त कर लिया जाता था. अंग्रेजी सरकार सजाएँ देती थी और लोगों ने सजा भी भुगती और सारी कठिनाइयों के बावजूद सभी लोग पत्रकारिता में रहें तो यह हमारी परंपरा ही रही कि सभी लोग साथ रहे, जिस पर हमें गर्व भी है. जब मैं पत्रकारिता में आया मुझे भी ऐसा लगा कि हम अपनी बात कह सकेंगे. लोगों को कैसी लगेगी यह अलग बात है लेकिन हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे. यह उस जमाने में एक मिशन था. लेकिन समय के साथ-साथ यह परंपरा खत्म होती गई. ऐसा नहीं कि आज अच्छे पत्रकार नहीं हैं. आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत से अच्छे पत्रकार हैं और उनके मन में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तमन्ना है, जुनून है. लेकिन धीरे-धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिससे हर कोई अपने आपको अलग दिशा में मोड़ लेता है.

सच की परछाई या अर्ध शताब्दी और अन्य कई कार्यक्रमों के माध्यम से आप दूरदर्शन पर भी काफी लोकप्रिय रहे हैं. क्या आप उसके अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे?

जब से दूरदर्शन मुंबई शहर में शुरू हुआ है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ. मुझे अच्छा भी लगता था दूरदर्शन के साथ कई तरह के कार्यक्रम मैंने किए. सच की परछाई जिसका आपने जिक्र किया वह एक पार्श्व कार्यक्रम था जो दिल्ली और मुंबई से होता था. पहले एक पक्ष पहले पखवाड़े में दिल्ली से होता था दूसरा पक्ष दूसरे पखवाड़े में मुंबई से होता था जो बाद में इकट्ठा दिखाया जाता था. उसमें बहुत मजा भी आता था. मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे निर्देशक ने मुझे पर कोई बंधन नहीं डाला. बहुत सारे कार्यक्रम जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुए. कई कार्यक्रम संभाल के करने होते हैं. मैंने दूरदर्शन पर सभी तरह के कार्यक्रम भी किए. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दूरदर्शन का बहुत प्रभाव होता है.

आपने अपना अनुभव साझा किया है, काफी लंबा अनुभव रहा है जिससे आप संतुष्ट भी हैं. हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके जीवन में कोई स्वर्णिम समय था जो आपको हमेशा याद रहेगा?

कौन सा समय स्वर्णिम समय रहा यह कह पाना बहुत मुश्किल है. नवभारत टाइम्स में संपादक बनने के पश्चात मुझे धर्मयुग का कार्य सौंप दिया गया और दोनों चीजें मैं इकट्ठी करता था, सुकून था कि मैं उसमें स्थान पा रहा हूँ. हालांकि उसमें स्टाफ का योगदान भी बहुत रहता है. लेकिन मुझे लगता था कि तब मेरी पहचान में एक और चीज जुड़ गई थी. मैं नवभारत का संपादक था और उसके साथ धर्मयुग का भी संपादक बना उसको लोग आज भी याद करते हैं. क्योंकि धर्मयुग का संपादक का एक अलग ही स्थान था. धर्मवीर भारती जी ने इसे एक ऊंचाई पर पहुँचा दिया जिसे बरकरार रख पाना मेरे लिए बहुत चुनौती भरा था. हम नहीं रख पाए यह बात भी अलग थी. उस जमाने में भारती जी की समझ और योग्यता अलग थी. उनसे हमने बहुत कुछ सीखा. वो काफी अच्छा अनुभव था.

आज हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द आ रहे हैं इस बात को लेकर दो राय बन रही हैं. पहली कि हमारा साहित्य मजबूत हो रहा है और दूसरी कि हमारा साहित्य कमजोर हो रहा है. इस पर आपका क्या कहना है?

यदि साहित्य हिन्दी में लिखी गई है तो ज़्यादातर हिन्दी में ही लिखी जाए वो अपनी मानक भाषा है. उसमें कुछ शब्द अँग्रेजी या बाकी भारतीय भाषा के शब्द आते हैं तो स्वागत योग्य होते हैं. हमारे संविधान में लिखा गया है कि हिन्दी को हमारी राजभाषा घोषित किया जाए जिसमें 15 वर्ष तक अँग्रेजी को सह-भाषा के रूप में रखा जाए. इस दौरान हिन्दी में संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी मिलाया जाए और एक समृद्ध भाषा बनाई जाए.

मैं यह समझता हूँ यह बहुत बहुत अच्छा है ऐसा होना ही चाहिए. किसी भी भाषा में बाहर से शब्द आते ही हैं और आने ही चाहिए इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए. लेकिन उसकी एक सीमा होती है. अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को लिया जा सकता है. हमारे देश में शब्दों का इतना बड़ा खजाना है जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है. उस खजाने का उपयोग करना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी. लेकिन जिस तरह की भाषा खासतौर पर अँग्रेजी को लेकर जिस तरह की सोच विकसित हुई, जैसे एक जमाना आया था जब एक अखबार के स्टाफ को यह कहा गया कि हिन्दी समाचार में 40 प्रतिशत शब्द अँग्रेजी के होने चाहिए, यह तरीका गलत है. अन्य भाषाओं से शब्द लेने पर कोई भी भाषा समृद्ध बनती है.

हम बैंकिंग कारोबार में अनुवाद से जुड़े हैं. कई जटिल शब्दों के अनुवाद करते हैं. विदेशी भाषाएँ या अँग्रेजी शब्दों के अनुवाद भी इतने जटिल होते हैं कि लोकप्रिय नहीं होते हैं.

मुझे याद है बरसों पहले एक बैंक ने अपने बहुत सारे फार्म का हिन्दी में अनुवाद करवाया. उसके लिए मैंने बैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि यह जो आपने अनुवाद करवाया है, यह मेरे लिए नहीं है. तो उन्होने एक तर्क दिया कि यह तकनीकी शब्द है, कानूनी शब्द है इसमें कुछ गलत होना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है. ऐसे शब्द का केवल एक अर्थ निकले ऐसा जरूरी है. इसलिए ऐसे शब्द गढ़ने पड़ते हैं. ऐसा तर्क स्वीकार्य होना चाहिए. जैसे विमुद्रीकरण की जगह नोटबंदी स्वीकार कर लेना चाहिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मेरा यह मानना है कि बैंकों में हिन्दी सहज भाषा होनी चाहिए.

नई शिक्षा नीति में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई शुरू हो रही है. एक पीढ़ी अँग्रेजी माध्यम से पढ़कर आ रही है. उनके लिए हिन्दी अपना लेना बहुत कठिन होगा. इस विषय में आपका क्या कहना है.

मैं इंटर में पढ़ता था मेरा विषय विज्ञान था. मैंने सोचा कि मैं हिन्दी माध्यम चुनूँगा. मैंने पढ़ना शुरू किया. मुझे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों में शब्द समझ नहीं आए. मैंने साथ में उसी लेखक की अँग्रेजी वाली पुस्तक मँगवाई और साथ में दोनों किताबें रखी तब मैं समझ सका. मुझे भी लगा इससे अच्छा तो अँग्रेजी माध्यम से ही पढ़ना चाहिए थी क्योंकि उन पुस्तकों में इतनी कठिन हिन्दी का प्रयोग किया गया था जो मुझे समझ नहीं आती थी. मैं यह नहीं कहता कि वह हिन्दी गलत थी लेकिन मैं उसमें सहजता नहीं थी. जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, मुझे कार्य भी उसी भाषा में करना चाहिए नहीं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम अपने आपको धोखा देंगे. हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है लेकिन पहली कक्षा में हिन्दी माध्यम से शिक्षा हो. यदि बच्चा पहली कक्षा से हिन्दी सीखें तभी सही होगा. एम.ए. में पहुँचने के बाद हम सीधा बच्चे पर हिन्दी थोप दें यह भी गलत है.

प्रश्नः सोशल मीडिया संचार के साधन रेडियो टीवी सभी का हिन्दी के प्रचार में कितना योगदान रहा है.

निश्चित रूप से रहा है. सोशल मीडिया तो अब आया है. इससे पहले रेडियो, टेलिविजन और सिनेमा की अहम भूमिका रही है. शुरुआत से इन सबका बहुत योगदान रहा है. सिनेमा की पहुंच सभी जगहों पर है. हमारे एक तमिल मित्र ने बताया कि "मैं एक गाँव में बस से गया और किनारे पर चाय पीने के लिए रुका तो वहाँ देखा कि रेडियो पर हिन्दी गाने आ रहे हैं. वहाँ मैंने पूछा उससे कि क्या आपको यह गाना समझ आ रहा है तो उसने हाँ में उत्तर दिया." संगीत तो संगीत है उसने बार-बार सुनते-सुनते वो शब्द सीख लिए. रेडियो, सिनेमा, टेलिविजन का हिन्दी को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान है. टेलिविजन के माध्यम से हालांकि अँग्रेजी के शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं लेकिन बहुत योगदान मिलता है. सोशल मीडिया में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यहां भी मिश्रित चीजें देखने को मिलती है.

प्रश्नः आजीविका की दृष्टि से आप हिन्दी का क्या योगदान समझते हैं.

आजीविका की दृष्टि से बैंक में राजभाषा अधिकारी और अनुवाद के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं. अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको दोनों भाषाएँ आनी चाहिए. इस प्रकार सोशल मीडिया में भी और अन्य जगहों पर भी हिन्दी की संभावनाएं बहुत हैं जो कि पहले नहीं थी. लेकिन मैं इसे इस रूप में नहीं देखता. भाषा को आजीविका के रूप में जोड़कर क्यों देखना चाहिए. आप किसी भी भाषा के हो जैसे गुजराती तो उसमें भी आपको नौकरियाँ मिलेंगी. गुजरात में जाकर काम करने वाले को गुजराती आनी चाहिए तभी आप वहाँ काम कर पाएंगे. यहाँ से तमिलनाडू जाते हैं, लोग राजस्थान से तमिलनाडू जाते हैं तो वो लोग वहाँ जाकर तमिल सीख लेते हैं. उसी तरह से जहां भी वह आदमी जाएगा वहाँ जाकर वह भाषा तो सीख ही लेगा. मजबूरी में वहाँ की भाषा सीखनी ही पड़ेगी. हिन्दी जहां-जहां और जब-जब सीखनी पड़ेगी तब वहाँ हिन्दी वालों को जगह अवश्य मिलेगी.

राजेश जोशी
यूनियन धारा, कें.का. मुंबई

सावन सौरभ
यूनियन धारा, कें.का. मुंबई

गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा की उपस्थित में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में क्षे. का. कटक के क्षे. प्र. श्री तुषार कान्त कर एवं तत्कालीन राजभाषा प्रभारी श्री अखिलेश कुमार वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2020-21 के लिए क्षे. का. गुवाहाटी के पूर्व क्षे. प्र. श्री बरुण कुमार एवं तत्कालीन राजभाषा प्रभारी श्री नवज्योति हाजारिका, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा एवं संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तुहरी महताब के कर-कमलों से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 के लिए क्षे. का. गुवाहाटी के पूर्व क्षे. प्र. श्री बरुण कुमार एवं तत्कालीन राजभाषा प्रभारी श्री विक्रांत कुमार, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा एवं संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तुहरी महताब के कर-कमलों से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2020-21 हेतु पश्चिम क्षेत्र के लिए गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के कर-कमलो से क्षे. का. बड़ौदा के क्षे. प्र. श्री सत्यजीत महांती एवं राजभाषा प्रभारी सुश्री राधा मिश्रा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 हेतु पश्चिम क्षेत्र के लिए गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के करकमलों से क्षे. का. बड़ौदा के क्षे. प्र. श्री सत्यजीत महांती एवं राजभाषा प्रभारी श्री सत्येंद्र कुमार तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 हेतु पश्चिमी क्षेत्र के लिए क्षे. का. गोवा के तत्कालीन क्षे. प्र. श्री अशोक उपाध्याय एवं राजभाषा प्रभारी श्री अजीत कुमार गोयल तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

दि. 27.01.2023 को तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, सुश्री अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव (राजभाषा) एवं डॉ मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव (राजभाषा) गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थित में दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह

वर्ष 2021-22 के लिए अंचल कार्यालय, बेंगलूरु महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार एवं श्री कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 के लिए क्षे. का. बेंगलूरु (दक्षिण) के क्षे. प्र. श्री वेद प्रकाश अरोड़ा एवं श्री कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए क्षे. का. कोषिक्कोड की क्षे. प्र. सीएमए रोसलिन रोड्रिगस एवं श्री राजेश के, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

क्षे. का. एर्णाकुलम के क्षे. प्र. श्री मंजुनाथस्वामी सी जे एवं सुश्री बिनु टी एस, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय पुरस्कार एवं वर्ष 2021-22 के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 के लिए क्षे. का. नेल्लूर के क्षे. प्र. श्री जोगराव किल्लि एवं श्री जितेंद्र गुप्ता, राजभाषा अधिकारी, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के पुरस्कार प्राप्त कार्यपालकों तथा राजभाषा प्रभारियों की सामूहिक तस्वीर.

वर्ष 2020-21 के लिए नराकास (बैंक) कोच्चि के अध्यक्ष एवं क्षे. प्र. श्री मंजूनाथस्वामी सी जे तथा सदस्य सचिव एवं व. प्र. (राजभाषा) श्री जॉन अब्राहम द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 के लिए नराकास (बैंक) विशाखपट्टणम के अध्यक्ष एवं उप क्षे. प्र. श्री आई.एस.एस. मूर्ती तथा सदस्य सचिव एवं प्रबंधक (रा. भा.)एवं श्रीमती पी. विवेक सुधा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षे. का. कोट्टयम के क्षे. प्र., श्री आर नरसिम्हा कुमार एवं श्री सुकेश कुमार, राजभाषा अधिकारी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

नराकास (बैंक व बीमा), कोच्चि 2021-22 वर्ष हेतु मुख्य अतिथि श्री पद्मनाभन पी के, वरिष्ठ प्रबंधक (परिचालन)(सेवानिवृत्त), भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की उपस्थिति में क्षे. का. एर्णाकुलम के क्षे. प्र., श्री मंजुनाथस्वामी सी जे एवं सुश्री बिनु टी एस, वरिष्ठ प्रबंधक(राभा) विशेष पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

वर्ष 2022-23 के लिए नराकास गोवा से क्षे. का. गोवा के क्षे. प्र., श्री अशोक उपाध्याय एवं श्री अजीत कुमार गोयल, राजभाषा अधिकारी राजभाषा सम्मान पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

दि. 20.01.23 को कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए क्षे. का. भुवनेश्वर के क्षे. प्र. श्री सत्यबान बेहेरा एवं सुश्री प्रीति साव राजभाषा अधिकारी नराकास, भुवनेश्वर से द्वितीय पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्राप्त करते हुए.

दि. 24.01.23 को नराकास, मऊ द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्री नीरज कुमार लाल (स्टेशन अधीक्षक) मऊ स्टेशन, श्री मुख्तार आलम (प्राचार्य) जवाहर नवोदय विद्यालय, मऊ के कर-कमलों से वर्ष 2021-22 के लिए क्षे. का. मऊ के क्षे. प्र., श्री मिथिलेश कुमार एवं श्री किशोर कुमार (राजभाषा अधिकारी) प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

दि. 24.01.23 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेंदु पांडे, श्री आलोक अग्रवाल (मंडल रेल प्रबंधक), नराकास अध्यक्ष श्री समीर साँई एवं उप निदेशक, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) श्री निर्मल कुमार दुबे की गरिमामयी उपस्थिति में क्षे. का., समस्तीपुर की राजभाषा प्रभारी सुश्री प्रीति प्रिया राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रथम पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए.

दि. 02.02.23 को आयोजित नराकास, बालेश्वर की बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षे. का., बालेश्वर को वर्ष 2022-23 हेतु राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. मुख्य प्रबंधक श्री मेघ्राय मार्ण्डि एवं राजभाषा प्रभारी श्री राजीव रंजन कुमार, पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

दि. 30.01.2023 को नराकास बरेली की बैठक में क्षे. का., बरेली के क्षे. प्र., श्री राजेश कुमार सिंह एवं श्री राधा रमन शर्मा, राजभाषा प्रभारी कैलेंडर वर्ष 2022 हेतु प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए.

दि. 03.03.23 को स्टाफ ज्ञानार्जन केंद्र, विशाखपट्टणम में आयोजित दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित भौतिक हिन्दी कार्यशाला के दौरान श्री. एस. राम सुब्रमण्यन, कार्यपालक निदेशक द्वारा क्षे. म. प्र. का. एवं क्षे. का., विशाखपट्टणम की संयुक्त गृह पत्रिका "यूनियन वैशाखी" के सितंबर-22 अंक का विमोचन किया गया, साथ में श्री. के. एस. डी. शिव. वर प्रसाद, क्षेत्र महा प्रबन्धक भी उपस्थित रहे हैं.

दि. 10.03.23 को श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) ने नराकास (बैंक एवं बीमा), हैदराबाद की उप समिति की बैठक में भाग लिया. मंच पर श्री सी.राधाकृष्ण, सदस्य-सचिव, नराकास उपस्थित रहे.

दि. 21.01.23 को राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मा. सं. वि., कें. का. द्वारा श्री जी. एन. दास, महाप्रबंधक (मा.सं.) की अध्यक्षता में तथा श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राभा) व मुख्य प्रबंधकगण श्री अवनीश सिमल्टी, श्री विवेकानंद एवं श्रीमती गायत्री रविकिरण की उपस्थिति में विभिन्न विभागों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों हेतु आयोजित वार्षिक राजभाषा सम्मेलन.

दि. 23.03.23 को सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.) श्री रामजीत सिंह कें. का. द्वारा क्षे. म.प्र. का. दिल्ली एवं क्षे. का. दिल्ली (दक्षिण) का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया.

अंतर राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दिनांक 21.02.23 के उपलक्ष्य में क्षे. का. बेंगलूरु (दक्षिण) द्वारा नराकास (बैंक तथा बीमा) बेंगलूरु के तत्वावधान में अंतर बैंक 'काव्य पाठ प्रतियोगिता' का आयोजन प्राचार्य एवं उप महा प्रबंधक श्री हृषीकेश मिश्रा एवं नराकास के सदस्य सचिव श्री ई रमेश, सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा) की उपस्थिति में किया गया.

दि. 03.03.23 एवं 04.03.23 को स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र मंगलूर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिन्दी कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों के साथ श्री अरविन्द कुमार, उप अंचल प्रमुख, श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, यूनियन लर्निंग अकादमी.

मऊ क्षेत्र की गृह-पत्रिका "यूनियन तमसा" के सितंबर 2022 अंक का विमोचन दिनांक 24 जनवरी 2023 को आयोजित नराकास, मऊ की 15वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक में क्षेत्र प्रमुख श्री मिथिलेश कुमार, भारतीय रेल, मऊ जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक श्री नीरज कुमार लाल, जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ के प्राचार्य श्री मुख्तार आलम, केंद्रीय विद्यालय मऊ के प्राचार्य श्री आर के भारती, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मऊ के उप मण्डल प्रमुख श्री संजय कुमार एवं राजभाषा अधिकारी श्री किशोर कुमार द्वारा किया गया.

दि. 13.01.2023 को नराकास - धनबाद द्वारा आयोजित एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन में क्षे. का. धनबाद की राजभाषा प्रदर्शनी.

दि. 04.02.23 : श्री सुरेश चंद्र तेली, मुख्य महाप्रबंधक ने सभी राजभाषा अधिकारी उपस्थित में हैदराबाद अंचल की अंचलीय अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का उदघाटन किया. साथ है अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी.

दि. 12.03.2023 को क्षे. म. प्र. का., पुणे के स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सुश्री शिल्पा शर्मा सरकार, सहायक महा प्रबंधक, उप अंचल प्रमुख श्री मयंक भारद्वाज और साथ स्टाफ सदस्य.

दि. 03.03.2023 के स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन कर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री दीपक एन.एस., सहायक महाप्रबंधक एवं प्रमुख, यूनियन लर्निंग अकादमी.

क्षे. म. प्र. का. विजयवाड़ा द्वारा दि. 14.02.2023 को अंचल में पदस्थ कार्यपालकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया. मंचाशीन श्री नवनीत कुमार, क्षेत्र महाप्रबंधक, उप अंचल प्रमुख श्री नरसिम्हा मूर्ति तथा श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा).

दि. 15.03.2023 को श्री निर्मल कुमार दुबे, प्रभारी उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पूर्व), कोलकाता, भारत सरकार द्वारा राउरकेला मुख्य शाखा का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान शाखा प्रबन्धक श्री सी आर सरक, राजभाषा अधिकारी श्री रोहित साव एवं शाखा में उपस्थित सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

दि. 04.03.2023 को स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर में आयोजित दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित भौतिक हिन्दी कार्यशाला में भुवनेश्वर, कोलकाता और रांची अंचलों से पधारे सहभागियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र महाप्रबंधक श्री सर्वेश रंजन.

क्षे. का. बरेली द्वारा केंद्रीय विद्यालय, बरेली में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया. केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्या डा अपर्णा सक्सेना, मुख्य प्रबन्धक श्री पी. के. शर्मा, श्री राधा रमन शर्मा, राजभाषा अधिकारी एवं श्रीमति मीता गुप्ता, हिन्दी प्राध्यापक, केंद्रीय विद्यालय उपस्थित रहे.

दि. 04.02.23 को भुवनेश्वर अंचल में पदस्थ कार्यपालकों के लिए आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में श्री सर्वेश रंजन, क्षे. म. प्र., प्रतिभागियों को संबांधित करते हुए.

दि. 10.01.2023 को क्षे. का. भुवनेश्वर द्वारा केंद्रीय विद्यालय-2, में कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन एवं आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस अवसर पर क्षे. प्र. भुवनेश्वर श्री सत्यबान बेहेरा एवं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री ए. के. खतुआ उपस्थित रहे.

दि. 10.01.23 को क्षे. का., संबलपुर में 'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया. क्षे. का. एवं शाखाओं के स्टाफ सदस्यों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रतियोगिता के समापन पर क्षे. प्र., श्री पंकज कुमार कपसिमे द्वारा विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया.

विश्व हिंदी दिवस 2023 के उपलक्ष्य में क्षे. का. एलूरु द्वारा राजभाषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, एवं शीर्ष 3 स्टाफ सदस्यों को क्षे. प्र., श्री एम गोपाल कृष्णा मूर्ति एवं उप क्षे. प्र. श्री डीआरएम राव द्वारा पुरस्कृत किया गया.

दि. 10.01.23 को क्षे. का., पटना में विश्व हिंदी दिवस - 2023 के आयोजन के अवसर पर अपने कर - कमलों से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ करते हुए श्री अजय बंसल क्षेत्र प्रमुख पटना, साथ में अन्य स्टाफ सदस्यगण.

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर क्षे. का. कलबुर्गी में आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए क्षेत्र प्रमुख एच.जी. अरविंद, संगोष्ठी के पश्चात सामूहिक छायाचित्र.

क्षे. का., मऊ में क्षे. प्र. मिथिलेश कुमार की उपस्थिति में 'बस एक मिनट हिन्दी बोलें' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

क्षे. का. राँची एवं क्षे. म. प्र. का. राँची द्वारा विश्व हिन्दी दिवस इस अवसर पर 'यात्रा वृत्तांत लेखन' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. क्षेत्र महाप्रबंधक श्री ज्ञान रंजन सारंगी, उप अंचल प्रमुख श्री विकास कुमार सिन्हा, क्षेत्र प्रमुख, श्रीमती सोनालिका, उप क्षेत्र प्रमुख, श्री मुकेश कुमार, सहायक महा प्रबन्धक, श्रीमती सुनीता यादव एवं सहायक महा प्रबन्धक, श्रीमती दीपमाला लकड़ा उपस्थित रहे.

क्षे. का., तिरुवनंतपुरम में विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया. डॉ. एस. हरिप्रिया, असोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटि कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, मुख्य अतिथि थी एवं उप क्षेत्र प्रमुख श्री एन सनल कुमार अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे.

शंखपुष्पी है लाजवाब

आजकल मनुष्य कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं. बढ़ते प्रदूषण और गलत जीवनचर्या के कारण हर पाँच व्यक्ति में से एक महामारी, रक्तचाप, मधुमेह, तनाव और घबराहट आदि स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित नज़र आ रहा है. कई रोगों को हम जड़ से तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उनसे आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं. शंखपुष्पी इन सभी समस्याओं में बहुत प्रभावी है.

आजकल घरों में इस पौधे की सिर्फ लता ही दिखाई दे रही है तथा इसके फूल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लोग इसके फूल हर दिन निकालकर चाय के रूप में पी रहे हैं. सच में कहाँ जाए तो शंखपुष्पी फूल को लता के रूप में ही लोग जानते है और पशुग्रास के रूप में भी इस्तेमाल करते थे. लेकिन आयुर्वेदिक वैद्यों को ही पता है कि यह एक अद्भुत औषधीय पौधा है. शंखपुष्प का फूल ही नहीं, पत्ता, जड़, डंठल, बीज, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं. पेट की विषैली पदार्थों को हटाने के लिए पौधे की जड़ से बनी हुई दवाई को लिया जाता है. साँप के काटने पर सफेद शंखपुष्पी पौधे की जड़ें पीसकर देते थे. ऐसी बनी दवाई सोरियासिस बीमारी को ही नहीं पंचकर्म वैद्य में भी इस्तेमाल की जाती थी.

यह क्यों लाभदायक है - इस पौधे में फ्लेवनाइड्स, केटेचिन, पालीफिनेल्स जैसे अनेक एंटिआक्सीडेंट्स है जो रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं. फूलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते है.

अल्जीमेर्स की चिकित्सा - वैद्यों का कहना है कि शंखपुष्पी के फूल, पत्तों, जड़ों से बना पाउडर नाड़ी व्यवस्था की सामर्थ्य को बढ़ाने के साथ अनिद्रा, तनाव में राहत देती है. इसमें आर्गनेल्लोलिन नामक पदार्थ शरीर में असिटाइलकोलिन नामक न्यूरो ट्रांसमीटेर की मात्र को बढ़ाकर मस्तिष्क की सामर्थ्य को सुधारने में उपयोगी है जिससे उम्र के साथ आनेवाली अल्जीमेर्स को कम कर सकते है.

- **सौंदर्य** - आजकल इसे अनेक सौन्दर्य उत्पादों में उपयोग कर रहे हैं. इसमें क्यूएर्सिटिन नामक फ्लेवनाईड बाल को जल्दी सफेद होने नहीं देती है.
- **पाचन शक्ति के लिए** - हफ्ते में 2 बार खाली पेट में शंखपुष्पी फूल/पत्तों को उबालकर बना काढ़ा पीने से शरीर के विषैले पदार्थ हटकर पाचन व्यवस्था में सुधार होगा. यह पेट में जलन एवं कब्ज़ को कम करती है. गैसस्ट्राइटिस, उल्टी, विकार को कम करने में असरदार है. इस पौधे के बीज को चूर्ण कर एक ग्राम को 2 बार दिन में खाना भी लाभदायक है.
- **कैंसर का निवारण** - इस फूल की चाय साइक्लोटाइडल कैंसर की रोकथाम करती है. फेफड़े कैंसर के निवारण में शंखपुष्पी का काढ़ा अच्छा नजीता देता है.
- **औषधी के रूप में** - इसकी चाय पीने से तीव्र ज्वर, ख़ासी, सर्दी कम होती है.
- **कोलेस्ट्रोल नियंत्रण** - परीक्षण में साबित हुआ कि हर दिन शंखपुष्पी फूलों की चाय पीने से कोलेस्ट्रोल की मात्र घट जाती है. इन फूलों की जड़ो का सार / बीज का पाउडर लेने से बुरा कोलेस्ट्रोल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है.
- **मधुमेह नियंत्रण** - शंखपुष्पी से रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा घट जाती है. भोजन के पहले इसकी चाय पीने से अधिक वजन को कम किया जा सकता है.

इतना ही नहीं, कुछ तरह के पौधों में साइक्लोटाइड, पेपटाईड्स भी है जो एच आई वी वाइरस का नियंत्रण करते है. शंखपुष्पी मूत्र और श्वास संबंधी समस्याओं का भी निवारण करती है. दाँत की समस्याओं, डायरिया निवारण, जैसी कई समस्याओं के लिए यह दिव्य औषधि है. साधारण तौर पर फल/ तरकारियों में मिलनेवाली फ्लेवनाईड्स शंखपुष्पी फूलों में भी है. यह तेज एंटिआक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए उम्र से बढ़नेवाली हानिकारक फ्रीरेडिकल्स की उत्पत्ति को कम करने के साथ कई बीमारियों की रोकथाम करती है. इसलिए घर में शंखपुष्पी पौधा होना बहुत लाभदायक है.

कैसे इस्तेमाल करें - इस फूल को ग्रीन टी के रूप में पिया जाए तो सेहत के लिए फायदेमंद है. फूलों को सलाद में भी खा सकते हैं. सूखे हुए फूल से बने पाउडर को काफी में, केक में, आईस्क्रीम / डेसर्ट/ जूस, तरह-तरह के पकवान में इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ फूलों को पानी में उबाल कर आए हुए नीले रंग चाय में थोड़ा नींबू रस डालें तो यह गुलाबी रंग में बदल जाता है. इसे गरम या ठंडा पिया जा सकता है. आजकल गुलाबी रंग की शंखपुष्पी भी मिल रही है.

एन वी एन आर अन्नपूर्णा
आस्ति वसूली शाखा, विशाखपट्टणम

आपकी पत्रिका 'यूनियन सृजन' (राजभाषा विशेषांक) दिनांक 7/2/2023 को प्राप्त हुई. पत्रिका में सम्मिलित आलेख, कविताएं, समाचार आदि स्तरीय एवं ज्ञानवर्धक है. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है. पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, इससे जुड़े सभी कार्मिकों, रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ.

डॉ. छबिल कुमार मेहेर
उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पत्रिका यूनियन सृजन का चौथा अंक (अक्तूबर-दिसंबर, 2022) पढ़ा. सर्वप्रथम मैं संपादक मंडल को बधाई दूंगा कि उन्होंने यह विशेषांक वरिष्ठ नागरिकों पर रखा है. लगभग चार पीढ़ियां देख चुके हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का यह सचमुच सार्थक प्रयास है. वरिष्ठ नागरिकों की व्यथा-कथा, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी चुनौतियाँ और उन्हें दूर करने के उपाय लगभग सभी पहलुओं पर बड़ी अच्छी रचनाएं, कविताएं इसमें शामिल की गई हैं. आमुख व रंग सज्जा मनभावन, संदेश प्रेरक, गद्य और पद्य का संतुलित संगम. कुल मिलाकर सर्वांग सुंदर और संग्रहणीय अंक.

दिब्येंदु बिद्यांत
स्थानापन्न महाप्रबंधक (मानव संसाधन), बीईएल कार्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु

पत्रिका बहुत ही सुव्यवस्थित एवं सुरुचिपूर्ण है. इसमें संकलित लेख जैसे हिंदी की विकास यात्रा, साहित्य सृजन: विश्वनाथ सत्यनारायण, हिंदी और सहयोगी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ, के.वाई.सी अनुपालन का महत्व एवं विश्व हिंदी सम्मेलन- हिंदी के प्रचार-प्रसार में इसकी भूमिका आदि बेहद ज्ञानवर्धक विषय हैं. कविताओं में- हिंदी भारत की राजभाषा, मैं और मेरी हिन्दी, कठपुतली की तरह एवं संतुलन आदि कविताएँ हृदय को स्पर्श करती हैं. स्टाफ सदस्यों द्वारा राजभाषा विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने का आपका यह प्रयास अभिनंदनीय है. इस पत्रिका में चित्रांकन आकर्षक एवं भाषा भी सरल, सटीक तथा सहज है. इसके लिए समस्त संपादक मंडल बधाई का पात्र है. आशा करते हैं कि भविष्य में भी पत्रिका प्राप्त होती रहेगी.

गजराज देवी सिंह ठाकुर
महाप्रबंधक सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

'यूनियन सृजन' का दिसंबर 2022 अंक प्राप्त हुआ, जो वरिष्ठ नागरिक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है. आज ऐसे समय में जब समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कम होता जा रहा है, लोग अपने वृद्ध माता-पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, 'यूनियन सृजन' के वरिष्ठ नागरिक विशेषांक का प्रकाशन सामयिक और सराहनीय है. यद्यपि बैंकों द्वारा जमा राशि पर अधिक ब्याज देकर और वरिष्ठ नागरिक बचत व पेंशन योजनाएँ आदि चलाकर सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दे रही है, फिर भी परिवार और समाज में वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. मुझे पूरी उम्मीद है कि 'यूनियन सृजन' के इस विशेषांक से बैंकिंग समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उनकी देखभाल बेहतर ढंग से होगी. शुभकामनाओं के साथ,

सर्वेश रंजन, अंचल प्रमुख, भुबनेश्वर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई की त्रैमासिक पत्रिका-(अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक) 'यूनियन सृजन' पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ. यह 'वरिष्ठ नागरिक विशेषांक' सचमुच संग्रहणीय विशेषांक है. परिदृश्य में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ए. मणिमेखलै जी ने बिल्कुल सही कहा कि यह विशेषांक आपको वृद्धावस्था के हर एक पहलू से रूबरू कराएगा. संपादकीय में डॉ. सुलभा कोरे जी ने सही ही कहा है कि वरिष्ठ नागरिक किसी भी देश, शहर, गाँव और संस्था के लिए एक आस्ति के रूप में होता है. आज़ का वरिष्ठ नागरिक बहुत समझदार है. पंकज कुमार जी का लेख 'वरिष्ठ नागरिक संज्ञा, व्याख्या, संकल्पना बहुत ही सटीक और सारगर्भित है. माता-पिता के प्रति बच्चों की संवेदनहीनता को उन्होंने असली उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है. रूपेश कुमार वर्मा के लेख 'वरिष्ठ नागरिक दूसरा बचपन' में इंसान की जिन्दगी के तीन काल खंड का वर्णन बखूबी किया गया है. राजस्थानी साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में सुभाष चन्द्र जी का लेख पढ़ कर आनन्द आ गया. सेठिया जी की साहित्य साधना की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ. रक्षित तनेजा का लेख- 'भारतीय कानून और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार' कानूनी जानकारियों से युक्त अति उत्तम लेख है.

सुनील कुमार का लेख - 'वृद्धावस्था और आर्थिक सक्षमता' वर्तमान समय की आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय योजनाओं की बहुत ही सटीक जानकारी प्रदान करता है. इन सबके बीच में काव्य सृजन तपती रेत पर बादलों से बरसती ठंडी बूंदों के समान शीतलता प्रदान करने वाला है. सुमित गर्ग का लेख - 'वृद्धाश्रम' और आलोक चौहान का लेख - 'दादी की बचत का वो रुल' सचमुच पठनीय और मननीय है. डॉ. दामोदर खडसे का साक्षात्कार उनके लेखन और अनुभवों का जीवन्त दस्तावेज है. शिखा गुप्ता का 'वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकारी योजनाएँ' सचमुच उपयोगी और ज्ञानवर्धक लेख है. कुछ चर्चित वरिष्ठ नागरिकों के बारे में लिखा हुआ स्वाति खेतान का लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है. इन सबसे अलग हटकर पर्यटन लेख- भाग्य का शहर: विशाखपट्टणम, बहुत ही शानदार लेख है. दक्षिण भारत का कश्मीर कही जाने वाली अरकु वैली निश्चित रूप से दर्शनीय स्थल है. शिल्पा शर्मा सरकार का लेख- मूल्यों का ह्रास बदलते जीवन मूल्यों और नैतिक मूल्यों के पतन के बारे में आँखें खोलने वाला है. राजेश के का लेख- राजभाषा कार्यान्वयन- जहाँ चाह, वहाँ राह, इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अगर कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असम्भव कुछ भी नहीं. राजभाषा पुरस्कार और राजभाषा समाचारों के साथ-साथ साहित्यकार कृष्णा सोबती की कहानी- ऐ लड़की की पुस्तक समीक्षा पढ़ कर मन तृप्त हो गया. इस हेतु प्रीति साव जी को बहुत-बहुत बधाई. संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि पत्रिका का यह अंक पठनीय और संग्रहणीय है. वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मान से जीने का हक है. पत्रिका में संकलित उच्च कोटि की सामग्री हेतु एवं कुशल सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डल के समस्त सदस्य बधाई के पात्र हैं.

सरिता सुराणा
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखिका, संस्थापिका, सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था, हैदराबाद

संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण

दि. 16.01.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम के निरीक्षण के समापन पर संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भतृहरी महताब के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक. साथ हैं श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मासं), श्री हृषीकेश मिश्रा, प्राचार्य एवं उप महाप्रबंधक, श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), श्री सतीश कुमार पाठक, केंद्र प्रभारी-मुख्य प्रबंधक, श्री कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती नमिता प्रसाद प्रबंधक (राजभाषा).

दि. 16.01.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम के निरीक्षण के अवसर पर समिति के माननीय सदस्यों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय का संदर्भ साहित्य "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं बैंक की तकनीकी पहल 2022-23" का विमोचन किया गया.

RNI No. MAH HIN/2016/68433

नि:शुल्क वितरण हेतु

गुरेज़ वैली, कश्मीर

छायाचित्र - कैलाश शर्मा

ट्रेजरी विभाग, कें. का. मुंबई